[2019] 6 एस. सी. आर. 307

DHARANI Sugars and Chemicals Ltd.

वी.

भारत और ओआरएस का संघ।

(2018 का हस्तांतरित मामला (सिविल) No.66)

में।

(2018 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) No.1399)

अप्रैल 02,2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-एस. 35 एए और 35 एबी-वैधता

के-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बैंकिंग विनियमन (संशोधन)

अधिनियम, 2017, जिसने एस. एस. की शुरुआत की। 35 एए और 35 एबी दो आधारों पर असंवैधानिक हैं: ((i) प्रस्तुत की गई धाराएं स्पष्ट रूप से मनमाना हैं और (ii) वे दिशानिर्देशों के अभाव से ग्रस्त हैं: बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 में ये संशोधन किए गए हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत अपने कार्यों को करने के लिए नियामक शक्तियां प्रदान करते हैं और गुणवत्ता में उन किसी भी धारा से अलग नहीं हैं जो पहले से ही लागू हैं। ऐसी शक्ति प्रदान की गई-धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि भारतीय रिजर्व बैंक जनहित में बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए गए अग्रिमों को नियंत्रित कर सकता है, और ऐसा करने में, न केवल नीति निर्धारित कर सकता है, बल्कि बैंकिंग कंपनियों को आम तौर पर या विशेष रूप से निर्देश भी दे सकता है-इसी तरह, यू / s.35A, जनहित में बैंकिंग कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए विशाल शक्तियां दी गई हैं-इसलिए, ss। 35 एए और 35 एबी जो

आर. बी. आई. को कुछ विनियामक शक्तियां देना स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है-जहां तक दिशा-निर्देशों का संबंध है, जिनके द्वारा आर. बी. आई. को दी गई शक्ति का प्रयोग किया जाना है, ऐसे निर्णय हैं कि इस तरह का मार्गदर्शन न केवल अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों और प्रस्तावना के विवरण से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसके प्रावधानों से भी प्राप्त किया जा सकता है। 25 , 29 , 30 और 31, सभी इस बारे में मार्गदर्शन देते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक नए जोड़े गए प्रावधानों के तहत इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा-नतीजतन, संवैधानिक वैधता की याचिका विफल रही।

-

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949। 35 ए, 35 एए और 35 एबी

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 - s.45L-भारतीय रिजर्व बैंक ने 12.02.2018 पर एक परिपत्र जारी किया, जिसके द्वारा RBI ने एक संशोधित अधिसूचना जारी की।

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, उक्त परिपत्र में बैंकों को यह बताने का प्रयास किया गया है कि जहां तक 2000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी ऋणों का संबंध है, उन्हें छह महीने की उचित अवधि दी जाएगी, जिसके भीतर या तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया जाएगा या

अन्यथा, यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो केवल दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आगे बढ़ना होगा-यह भी तर्क दिया गया था कि उक्त परिपत्र बैंकिंग विनियमन अधिनियम और धाराओं की धारा 21,35 ए, 35 एए और 35 एबी से अपनी शक्ति का पता लगाता है। 45 भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के एल-याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि विवादित आर. बी. आई. परिपत्र दिनांक 12.02.2018 बैंकिंग विनियमन अधिनियम और आर. बी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार से बाहर था-आयोजितः दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को या तो दिवाला संहिता के माध्यम से या अन्यथा हल किया जा सकता है-जब संहिता के माध्यम से समाधान किया जाना है, तो एस द्वारा दी गई विशिष्ट शक्ति। 35 अकेले ए. ए. का लाभ आर. बी. आई. द्वारा उठाया जा सकता है-इससे पहले

एस का अधिनियमन। 35 एए, यह कहना संभव हो सकता है कि जब रिजर्व बैंक द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी को दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी करने की बात आती है, तो यह कहा जा सकता है

यू/एस. एस. द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। 21 और 35 ए-लेकिन एस के बाद। 35 एए, यह केवल एस के चार कोनों के भीतर ऐसा कर सकता है। 35 एए-और पावर यू / s.35AB r/w। 35 ए का प्रयोग शक्ति से अलग किया जाना है।

एस द्वारा प्रदान किया गया। 35 एए अब, वे निर्देश जो यू/एस द्वारा जारी किए जा सकते हैं। 35 एए केवल विशिष्ट देनदारियों द्वारा विशिष्ट चूक के संबंध में हो सकता है यह केंद्र सरकार की समझ भी थी जब उसने 05.05.2017 दिनांकित एक अधिसूचना जारी की थी, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को दिवाला संहिता के तहत केवल "एक चूक" के संबंध में ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया था-इस प्रकार, कोई भी निर्देश जो आम तौर पर देनदारों के संबंध में होते हैं, वे अधिकार से बाहर होंगे। 35 एए-तत्काल मामले में, 12.02.2018 दिनांकित आक्षेपित परिपत्र में कहा गया है कि इसके स्रोतों में से एक के रूप में, एस में निहित शक्ति। 45 जहां तक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का संबंध है, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के एल-हालांकि, एस के प्रावधानों को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। 45 एल (3) संतुष्ट थे-इसके अलावा, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थानों पर समान रूप से लागू किए गए विवादित परिपत्र, इसलिए, जहां तक विवादित परिपत्र के आवेदन का संबंध है, वे अविभाज्य हैं-गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करना बहुत मुश्किल है ताकि उन पर परिपत्र लागू किया जा सके, भले ही यह बैंकों के संबंध में अधिकार से बाहर हो-इन कारणों से भी, विवादित परिपत्र को समग्र रूप से अधिकार से बाहर घोषित किया गया और कानून में इसका कोई प्रभाव नहीं घोषित किया गया-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।

DHARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. संघ का

भारत और ओआरएस।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949-एस. 35 ए, 35 एए और 35 एबी

-

योजना-आयोजितः जब दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने की बात आती है, s.35AA शक्ति का एकमात्र स्रोत है-जब बात आती है

इस तथ्य से स्पष्ट है कि एस। 35 एबी (2) भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी को सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकरणों या समितियों को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाता है। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान-यह सलाह स्पष्ट रूप से दिवाला संहिता से परे है, क्योंकि एक बार इसके तहत आवेदन किया जाता है -

दिवाला संहिता, ऐसी सलाह पूरी तरह से निरर्थक होगी, क्योंकि दिवाला संहिता के प्रावधान तब अपने हाथ में ले लेंगे और उनका पालन करना होगा-दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016

हस्तांतरित मामलों और याचिकाओं का निपटारा करते हुए, न्यायालय

पकड़नाः संवैधानिक वैधता

1. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि बैंकिंग विनियमन

(संशोधन) अध्यादेश, 2017 और बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2017 दो आधारों पर असंवैधानिक है; (i) कि धाराएँ अर्थात 35 एए और 35 एबी स्पष्ट रूप से लागू की गई हैं।

मनमाना; और (ii) कि वे दिशानिर्देशों के अभाव से पीड़ित हैं। [पैरा 16] [340-एच; 341-ए]

2. याचिकाकर्ताओं में से कोई भी यह इंगित नहीं कर पाया है कि

कैसे इनमें से कोई भी प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना है। वे हैं।

किसी भी तरह से अत्यधिक नहीं और न ही वे किसी भी मार्गदर्शक सिद्धांत के अभाव से पीड़ित हैं। वास्तव में, ये संशोधन उन संशोधनों की प्रकृति के हैं जो उन्हें विनियामक शक्तियां प्रदान करते हैं।

बैंकिंग विनियमन के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1949 और गुणवत्ता में उन किसी भी धारा से अलग नहीं हैं जो पहले ही ऐसी शक्ति प्रदान कर चुके हैं। इस प्रकार, धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग द्वारा किए गए अग्रिमों को नियंत्रित कर सकता है।

सार्वजनिक हित में कंपनियाँ, और ऐसा करने में, केवल कुछ ही नहीं हो सकता है डाउन पॉलिसी लेकिन बैंकिंग कंपनियों को भी निर्देश दे सकती है

आम तौर पर या विशेष रूप से। इसी तरह, धारा 35 ए के तहत बैंकिंग को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं। सार्वजनिक हित में, बैंकिंग नीति के हित में, किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को [2019] 6 एस. सी. आर. में संचालित होने से रोकने के लिए।

इसलिए, आर. बी. आई. ने सही कहा कि आर. बी. आई. के लिए इन द्वारा उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं है। प्रावधान। नतीजतन, संवैधानिक वैधता की याचिका विफल हो जाती है। [पैरा 17] [342-जी-एच; 347-एच; 348-ए-सी]

अल्ट्रा वायरस

4. धारा 35 एए यह स्पष्ट करती है कि केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है।

दिवाला संहिता के प्रावधानों के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया को लागू करना। ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि इस तरह के प्राधिकरण के बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में कई धाराएँ हैं जो केंद्र सरकार की शक्तियों और भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्तियों को खा जाती हैं।

[पैरा 29] [360-डी-ई] धारा सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ।

आर. बी. आई. के साथ या स्वयं। इसलिए, धारा 35 एए द्वारा दी गई भूमिका, जब दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की बात आती है, तो महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के प्राधिकरण के बिना, जाहिर है, नहीं इस तरह के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। [पैरा 29] [363-एफ-जी]

6. इसका परिणाम यह है कि धारा 35 एए के अधिनियमन से पहले, यह कहना संभव हो सकता है कि जब किसी बैंकिंग कंपनी को शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने की बात आती है तो भारतीय रिज़र्व बैंक

दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया, यह धारा 21 और 35 ए के तहत ऐसे निर्देश जारी कर सकती थी। लेकिन धारा 35 एए के बाद, यह केवल धारा 35 एए के चार कोनों के भीतर ऐसा कर सकता है। [पैरा 30] [363-एच; 364-ए]

7. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। यदि कोई कानून किसी विशेष कार्य को करने की शक्ति प्रदान करता है और उस विधि को निर्धारित करता है जिसमें उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, तो यह अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए कार्य के अलावा किसी भी तरीके से कार्य करने को प्रतिबंधित करता है। इस सिद्धांत का पालन करते हुए, इसलिए, यह स्पष्ट है कि भारतीय रिज़र्व बैंक केवल बैंकिंग संस्थानों को दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत आगे बढ़ने का निर्देश दे सकता है यदि दो पूर्ववर्ती शर्तें निर्दिष्ट की जाती हैं, अर्थात्, (i) ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार का अधिकार है; और (ii) यह कि यह विशिष्ट चूक के संबंध में होना चाहिए। इसलिए, धारा, अनिवार्य निहितार्थ से, इस शक्ति का उपयोग धारा 35 एए में निर्धारित तरीके के अलावा किसी भी तरह से करने से रोकती है। [पैरा 31] [364-बी-जी; एच; 365-ए]

8. यह महत्वपूर्ण है कि धारा 35 एबी द्वारा दिए गए निर्देश जारी करने की शक्ति केवल निम्नलिखित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है - धारा 35 ए, अर्थात, इसे धारा 35 ए के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 35 एबी धारा 35 एए में निहित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना नहीं है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 35 एबी के तहत शक्ति, जिसे धारा 35 ए के साथ पढ़ा जाता है, का उपयोग धारा 35 एए द्वारा प्रदत्त शक्ति से अलग किया जाना है। [पैरा 36] [368-सी-डी] [2019] 6 एस. सी. आर.

9. दिनांक 05.05.2017 के प्रेस नोट में नई धारा 35AA और 35AB को दो अलग-अलग धाराओं के अनुदान के रूप में समझाया गया है।

ताकि "आर. बी. आई. को अन्य जारी करने का भी अधिकार दिया जाए। समाधान के लिए निर्देश। "यह महत्वपूर्ण है कि धारा 35 एए ठीक वैसे ही अधिनियमित की गई है जैसे अध्यादेश में है। उप-धारा (1) में एक मामूली जोड़ को छोड़कर, धारा 35 एबी भी ऐसी ही है, जो

जब दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने की बात आती है, तो कौन से निर्देश दिवाला संहिता के तहत इस समस्या को हल करने के अलावा अन्य निर्देश हैं, ऐसी शक्ति धारा 35 एबी के साथ पठित धारा 35 ए के भीतर आती है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट हो जाता है कि धारा 35 एबी (2) भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी को सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकरणों या समितियों को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है। दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान। यह सलाह स्पष्ट रूप से दिवाला संहिता से परे है, क्योंकि एक बार दिवाला संहिता के तहत आवेदन किए जाने के बाद, ऐसी सलाह पूरी तरह से निरर्थक होगी, क्योंकि दिवाला संहिता के प्रावधान तब अपने हाथ में ले लेंगे और उनका पालन करना होगा। [पैरा 38] [369-सी-एच; 370-ए]

10 दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान या तो दिवाला संहिता के माध्यम से या अन्यथा किया जा सकता है। जब संहिता के माध्यम से समाधान किया जाना है, तो धारा 35 एए द्वारा दी गई विशिष्ट शक्ति का लाभ अकेले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है। जब संहिता का समाधान किया जाना है, तो धारा 35 ए और 35 एबी के तहत सामान्य शक्तियों का उपयोग किया जाना है। कोई अन्य व्याख्या करेगी धारा 35 एए अन्य। वास्तव में, आर. बी. आई. का तर्क है कि आर. बी. आई. एक बैंकिंग कंपनी को धारा सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड शुरू करने के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21,35 ए और 35 एबी के तहत दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया, केंद्र सरकार के प्राधिकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगी।

ऐसा करें। धारा 35 एए के तहत केंद्र सरकार के प्राधिकरण के अभाव में, यह स्पष्ट है कि आर. बी. आई. के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी।

[पैरा 40] [371-बी-सी]

11. निर्देश जारी करने की शक्ति को आधार बनाकर

जहां तक दिवाला संहिता का संबंध है, धारा 35 एए में ध्यान देने वाली बात यह है कि यह धारा केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक को इसे जारी करने के लिए अधिकृत करने में सक्षम बनाती है

"एक डिफ़ॉल्ट" के संबंध में ऐसे निर्देश। यह आई. डी. 1 दिनांकित प्रेस नोट से भी स्पष्ट है, जिसमें अध्यादेश पेश किया गया था, जिसमें विशेष रूप से "विशिष्ट" दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान का उल्लेख किया गया था, जो आर. बी. आई. को एन. पी. ए. के समाधान के "विशिष्ट" मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार देगा। धारा 35 एए को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस बात पर भी जोर देता है कि

केंद्र सरकार की समझ जब उसने जारी किया अधिसूचना दिनांक 05.05.2017, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को संहिता के तहत केवल "चूक" के संबंध में ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया। इस प्रकार, कोई भी निर्देश जो आम तौर पर देनदारों के संबंध में हैं, धारा 35 एए के अधिकार से बाहर होगा। [पारस 41,42] [371-डी-ई;

372 - एफ-एच]

12. विवादित परिपत्र में इसके स्रोतों में से एक के रूप में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45 एल में निहित शक्ति

अधिनियम, 1934 जहाँ तक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान हैं -

चिंतित हैं। हालाँकि, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि धारा 45 एल (3) के प्रावधान विवादित परिपत्र जारी करने में संतुष्ट हुए हैं। विवादित परिपत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन शर्तों और उद्देश्यों को ध्यान में रखा है जिनके लिए ऐसे संस्थानों की स्थापना की गई है, उनकी वैधानिक जिम्मेदारियां और इस तरह के वित्तीय व्यवसाय के प्रभाव को ध्यान में रखा है।

मुद्रा और पूंजी बाजार में संस्थानों के रुझानों पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि विवादित परिपत्र बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थान अक्सर एक संयुक्त ऋणदाता मंच में होते हैं जो संयुक्त रूप से देनदारों को धन उधार देते हैं। ऐसे गैर-बैंकिंग वित्तीय [2019] 6 एस. सी. आर.

इसलिए, जहां तक आक्षेपित परिपत्र के अनुप्रयोग का संबंध है, संस्थान बैंकिंग संस्थानों से अविभाज्य हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय को अलग करना बहुत मुश्किल है।

बैंकों से संस्थाएं ताकि परिपत्र लागू किया जा सके चाहे वह बैंकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। इन कारणों से भी, विवादित परिपत्र को समग्र रूप से अधिकार से बाहर घोषित करना होगा, और कानून में इसका कोई प्रभाव नहीं होने की घोषणा करनी होगी। नतीजतन, उक्त परिपत्र के तहत की गई सभी कार्रवाइयां, जिनके द्वारा दिवाला संहिता लागू की गई है, उक्त परिपत्र के साथ आनी चाहिए। नतीजतन, वे सभी मामले जिनमें ऋणदाताओं के खिलाफ दिवाला संहिता की धारा 7 के तहत वित्तीय लेनदारों द्वारा केवल विवादित परिपत्र के संचालन के कारण कार्रवाई की गई है, वे कार्यवाही होंगी जो शुरुआत में ही त्रुटिपूर्ण होने के कारण गैर-अनुमानित घोषित की जाती हैं। [पैरा 45] [374-सी; 376-ई-एच; 377-ए]

हरिशंकर बागला बनाम। एम. पी. राज्य [1955] 1 एस. सी. आर. 380; ग्वालियर रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी. (डब्ल्यूवीजी.) कं. लिमिटेड बनाम। सहायक बिक्री कर आयुक्त और अन्य। ; सीनियर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर वी। लक्ष्मीनारायण चोपड़ा [1962] 3 एस. सी. आर. 146; यू. पी. राज्य बनाम सिंघारा सिंह [1964] 4 एस. सी. आर. 485; उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी (पी) लिमिटेड बनाम। उड़ीसा राज्य (1987) 3 एस. सी. सी. 279: [1987] 3 एस. सी. आर. 317; जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य

यू. पी. [1961] 3 एस. सी. आर. 185-पर निर्भर था। भारतीय बैंक संघ बनाम। देवकला परामर्श

सेवा (2004) 11 एससीसी 1: [2004] 1 पूरक। एससीआर 225

- अप्रयोज्य रखा गया मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव और अन्य। (2014) 9 एससीसी 516: [2014] 8 एस. सी. आर. 446; इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (लिखित-इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 2018 का सी. सं. 18170); स्विस रिबन प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। 2019 (2) स्केल 5; शायरा बानो बनाम। भारत संघ (2017) 9 एससीसी 1: [2017] 7 एस. सी. आर. 797; सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम रवींद्र, (2002) 1 एस. सी. सी. 367: [2001] 4 पूरक। एससीआर 323; सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2009) 8 एस. सी. सी. 1: [2009] 12 एस. सी. आर. 682; आई. सी. आई. सी. आई. बैंक लिमिटेड बनाम

ए. पी. एस. स्टार इंडस्ट्रीज धारानी सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड। वी. यूनियन इंडिया एंड ओआरएस।

लिमिटेड (2010) 10 एससीसी 1: [2010] 12 एस. सी. आर. 644; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

भारत और ओआरएस। (2014) 3 एससीसी 222: [2013] 12 एससीआर 999; भारत संघ और ए. एन. आर. वी. फाइजर लिमिटेड और ओआरएस। (2018) 2 एससीसी 39: [2017] 12 एस. सी. आर. 179; एरा (डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ के माध्यम से) v. राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर. (2017) 15 एससीसी 133: [2017] 7 एससीआर 924; आर्सेलर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम। सतीश कुमार गुप्ता (2019) 2 एस. सी. सी. 1; एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी (पी) लिमिटेड बनाम। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2018) 16 एस. सी. सी. 299: [2018] 2 एससीआर 1045; मैक्केरी बैंक लिमिटेड बनाम। शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी. 674; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम। बृजेश सिंह (2017) 10 एससीसी 779: [2017] 11 एस. सी. आर. 899; वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजस्थान बनाम

बिनानी सीमेंट्स लिमिटेड और अन्र। , (2014) 8 एससीसी 319: [2014] 3 एस. सी. आर. 1; मारू राम और अन्य। वी. भारत संघ और

ओआरएस। (1981) 1 एससीसी 107: [1981] 1 एससीआर 1196

- संदर्भित किया गया।

यूनाइटेड किंगडम के रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बनाम।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग [1981] 1 सभी ई. आर. 545 [एच. एल.]; कॉमडेल कमोडिटीज लिमिटेड v. सिपोरेक्स

तुर्किंगटन ब्रीन (ए फर्म) v. टाइम्स न्यूजपेपर्स लिमिटेड, [2000] 4 ऑल ई. आर. 913; बर्मिंघम सिटी काउंसिल बनाम। ओकले [2001] 1 ऑल ईआर 385 [एचएल]; टेलर बनाम। टेलर,

[1875] 1 च. डी. 426-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

014] 8 एससीआर 446

पैरा 4

संदर्भित किया गया है

19 (2) स्केल 5

संदर्भित किया गया है

पैरा 10

017] 7 एससीआर 797

संदर्भित किया गया है

पैरा 16

955] 1 एससीआर 380

उस पर भरोसा करें

पैरा 17

962] 3 एससीआर 146

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

004] 1 पूरक। एससीआर 225

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 25

001] 4 पूरक। एससीआर 323

संदर्भित किया गया है

पैरा 27

009] 12 एससीआर 682

संदर्भित किया गया है

[2010] 12 एससीआर 644

पैरा 27

संदर्भित किया गया है

[1875] 1 च. डी. 426

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

(1964) 4 एससीआर 485

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

[1987] 3 एससीआर 317

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

[2013] 12 एससीआर 999

संदर्भित किया गया है

पैरा 35

[2017] 12 एस. सी. आर. 17

पैरा 35

संदर्भित किया गया है

[2017] 7 एस. सी. आर 924

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

(2019) 2 एससीसी 1

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

[2018] 2 एससीआर 1045

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(2018) 2 एस. सी. सी. 674

पैरा 37

संदर्भित किया गया है

[2017] 11 एससीआर 899

संदर्भित किया गया है

पैरा 37

(1961) 3 एससीआर 185

उस पर भरोसा करें

पैरा 39

[2014] 3 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 39

[1981] 1 एससीआर 1196

संदर्भित किया गया है

पैरा 43

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णयः स्थानांतरित किया गया

2018 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) No.1399 में 2018 का मामला (सिविल) No.66

भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए (1) के तहत।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या। 339 , 802 , 1086 , 1110 , 1124 , 1142 , 1138 , 1156 , 1153 , 1166 , 1206 , 1212 , 1236 , 1296 2018 का एस. एल. पी. (सी) सं. 2018 का 31421, डब्ल्यू. पी.

((ग) संख्या। 1316 , 1308 और 2018 टी. सी. का 1359 (ग) टी. पी. में 2018 की सं. 65। (ग) 2018 का सं. 1404, डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 का सं. 1363,1364,1374, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 का सं. 71। (ग) 2018 टी. सी. की सं. 1283। (ग) टी. पी. में 2018 का सं. 73। (ग) 2018 टी. सी. की सं. 1285। (ग) टी. पी. में 2018 का सं. 72। (ग) 2018 का सं. 1284, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 का No.75 (ग) 2018 का सं. 1287, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 की सं. 76। (ग) 2018 का सं. 1288, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 का सं. 74। (ग) 2018 का सं. 1286, टी. सी. (ग) टी. पी. में No.70of 2018 (ग) 2018 का सं. 1403, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 का No.69 (ग) 2018 का सं. 1402, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 की सं. 68। (ग) 2018 का सं. 1401, टी. सी. (ग) टी. पी. में 2018 की सं. 67। (ग) नं. 1400/2018, डब्ल्यूपी। (ग) संख्या। 1383 , 1402 , 1400 , 1391 , 1411 , DHARANI Sugars and Chemicals Ltd.

वी. भारत और ओआरएस का संघ।

1410 , 1438 2018, डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 का सं. 22, डब्ल्यू. पी. (ग) 2018 का सं. 1502, डब्ल्यू. पी. (ग) 2019 की सं. 8,9,14,36 50,81,117,246 और 278। भारत के लिए अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता, एस. जी., विक्रमजीत बनर्जी और सुश्री माधवी दीवान, ए. एस. जी., नवनीति प्रसाद सिंह, मुकुल रोहतगी,

के. वी. विश्वनाथन, राकेश द्विवेदी, पी. एस. नरसिम्हा, सज्जन पूवैया, ध्रुव मेहता, अरविंद दातार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आर. बालासुब्रमण्यम, रजत नायर, कानू अग्रवाल, राजीव रंजन रणविजय सिंह, जी. एस. मक्कर, श्रद्धा देशमुख, सुश्री हरिप्रिया, अरविंद कुमार शर्मा, एम. के. मारोरिया, बिरजेश कुमार सिन्हा, हितेश कुमार शर्मा, मीताली पटेल, जीवेश प्रकाश, शांतनु सागर, टी. महिपाल, पुलकित देवड़ा, उदित गुप्ता (मेसर्स उदित किशन एंड एसोसिएट्स के लिए), अरविंद कुमार गुप्ता, श्रीमती पूर्ति मरवाहा गुप्ता, श्रीमती हीना जॉर्ज, श्रीमती वी. एस. लक्ष्मी, ए. वेनायगम बालन, आलोक धीर, सुश्री मनीषा धीर, सुश्री वर्षा बनर्जी, आशु के.

सुशांत शंकर, सुश्री श्वेता सिंह, सुश्री नेहा मिश्रा, सुश्री आरती द्विवेदी, महेश के. चौधरी, सुश्री कुसुम लता, पी. वी. दिनेश, सुश्री टी. पी. सिंधु, मुकुंद पी. उन्नी, लक्ष्मण आर. एस., बिनेश के., मेसर्स इंडियालॉ, हेमंत सिंह, निशांत कुमार, लक्ष्यजीत सिंह बागडवाल, अंबुज दीक्षित, सुश्री दिव्या रॉय, अनिल कुमार संगल, सिद्धार्थ संगल, सुश्री नीलांजनी टंडन, अमर गुप्ता, मयंक मिश्रा, आशीष जोशी, दिव्यम अग्रवाल, सुश्री दीक्षा राय, ईशान बिष्ट, सुश्री पलक महाजन, धनंजय भास्कर रे, रवि। रघुनाथ, मुकुंद राव, सुश्री वृंदा भंडारी, आर. वेंकटरमन, सुश्री प्रवीणा गौतम, जितेश पी. गुप्ता, पवन शुक्ला, राजा राम, सुश्री लिज़ मैथ्यू, राजेंद्र बारोट, विवेक शेट्टी, जहाँ चोकशी, सुश्री संसृति पाठक, एकलव्य द्विवेदी, सिद्धार्थ अय्यर, नवनीत आर., राघव मेहरोत्रा, अनंगा भट्टाचार्य, रोहित राव एन., शौर्य गर्ग (मेसर्स वेरिटास लेजिस के लिए), ध्रुव मोहन, सुश्री आस्था शर्मा, ई. आर. कुमार, सुश्री सोनल गुप्ता, ईशान नगर, राघव बंसल (मेसर्स पारेख एंड कंपनी के लिए), श्रीमती.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रशांत कुमार, सोवी बिपिनित सिंह, सुश्री वंदना सहगल, इकराम गोविंद सिंह, प्रणय गोयल, अमन राज गांधी, अभिषेक शर्मा, यश बडकुर, रितिन राय, अभिप्सित मिश्रा, एस. बी. अर्जुन, सुश्री इशिता बिस्ट, सुश्री कृतिका

भारद्वाज, सुश्री मीरा माथुर, वैजयंत पालीवाल, एस. एस. श्रॉफ, विश्वजीत दुबे, सुश्री श्रीदीपा भट्टाचार्य, मनप्रीत लांबा, सुश्री रुचि चौधरी, अमन सिंघानिया (मेसर्स सिरिल अमरचंद मंगलदास के लिए), ओ. पी. गग्गर, आदित्य गग्गर, मिलंका चौधरी, सरोजानंद झा, एशली चेरियन, संकेत तिवारी, सुश्री प्रज्ञा ओहरी, अभिरूप दासगुप्ता, ईशान दुग्गल, मोहित डी. राम, राजेंद्र बेनीवाल, राजेश पी., कौस्तुभ शुक्ला, श्रीमती ललिता कौशिक, निखिल जैन, महेश अग्रवाल, सिखिल सुर। वत्सला काक, सुश्री वामिका त्रेहन, सुश्री मैथली मुंद्रा, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री सुरुची अग्रवाल, सुश्री उषा नंदिनी वी., सुश्री रीतू शर्मा, आलोक शुक्ला, नीरज शेखर, सतीश कुमार, अमित कुमार पाठक, शिव कुमार सूरी, पुनीत सिंह बिंद्रा, बालाजी श्रीनिवासन, अभिषेक अग्रवाल, आनंद शंकर झा, मेसर्स धर्मपाल लॉ एसोसिएट्स, राजेश सिंह, आशीष राणा, अरुण अग्रवाल, डॉ. विनोद कुमार तिवारी, बृजेश कुमार टम्बर, रबीन मजूमदार, श्रीमती अनिल कटियार, गौरव अग्रवाल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. याचिकाओं का वर्तमान समूह और

स्थानांतरित किए गए मामले बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 ["बैंकिंग विनियमन अधिनियम"] की धारा 35एए और 35एबी की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हैं, जिसे डब्ल्यू. ई. एफ. 04.05.2017 संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था। विवाद की वास्तविक जड़ भारतीय रिजर्व बैंक ["RBI"] का एक परिपत्र है जो 12.02.2018 पर जारी किया गया है, जिसके द्वारा RBI ने दबाव वाली परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक संशोधित रूपरेखा जारी की है। महत्वपूर्ण बात

उपरोक्त परिपत्र के खंड नीचे दिए गए हैं:

" दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान-संशोधित ढांचा

1. भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए निर्देश जारी किए हैं

अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर, जिसमें शामिल हैं अलग-अलग समय पर कुछ विशिष्ट योजनाओं की शुरुआत। दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.) के अधिनियमन को देखते हुए, मौजूदा दिशानिर्देशों आई. ए. आर. ए. एन. आई. सागर और रसायन लिमिटेड, v.

भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समाधान के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और सरलीकृत सामान्य ढांचे के साथ

दबाव वाली परिसंपत्तियाँ। संशोधित ढांचे का विवरण इस प्रकार है - निम्नलिखित अनुच्छेदों में विस्तार से बताया गया है।

I. संशोधित ढांचा ए. तनाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग

2. ऋणदाता 1 ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव की पहचान करेगा,

तुरंत डिफ़ॉल्ट 2 पर, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को विशेष के रूप में वर्गीकृत करके

निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार खातों (एस. एम. ए.) का उल्लेख करें:

एस. एम. ए. उप-श्रेणियाँ

वर्गीकरण का आधार -

मूलधन या ब्याज का भुगतान या

कोई अन्य राशि पूरी तरह से या

बीच में आंशिक रूप से अतिदेय

1-30 दिन।

एसएमए-0

31-60 दिन।

एसएमए-1

61-90 दिन।

एस. एम. ए-2

3. जैसा कि परिपत्र DBS.OSMOS.No.14703/के संदर्भ में प्रदान किया गया है।

33.01.001 / 2013-14 दिनांक 22 मई, 2014 और उसके बाद

इसमें संशोधन करते हुए, ऋणदाता ऋण जानकारी की रिपोर्ट करेंगे, एस. एम. ए. से केंद्रीय भंडार के रूप में खाते का वर्गीकरण

सभी उधारकर्ता संस्थाओं पर बड़े ऋण (सी. आर. आई. एल. सी.) की जानकारी उनके साथ 5 करोड़ और उससे अधिक का कुल एक्सपोजर है।

सी. आर. आई. एल. सी.-मुख्य रिपोर्ट अब प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी

1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी मासिक आधार। इसके अलावा, ऋणदाताओं

सी. आर. आई. एल. सी. को रिपोर्ट करेगा, सभी ऋणकर्ता इकाइयाँ जो चूक में हैं (के साथ)

साप्ताहिक आधार पर 5 करोड़ और उससे अधिक का कुल जोखिम),

जिस दिन शुक्रवार को छुट्टी होती है। इस तरह की पहली साप्ताहिक रिपोर्ट 23 फरवरी, 2018 को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

इन दिशानिर्देशों के तहत आम तौर पर सभी अनुसूचित वाणिज्यिक शामिल होंगे।(आर. आर. बी.) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को छोड़कर, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। ऋण 'का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या चुकता ऋणी द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया हो, जैसा भी मामला हो। नकद ऋण जैसी परिसंचारी सुविधाओं के लिए, चूक का अर्थ यह भी है कि उपरोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, बकाया राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से अधिक हो।

30 दिनों से अधिक।

दिशानिर्देशों के तहत ई-गेट एक्सपोजर में ऋणदाताओं के साथ सभी फंड आधारित और गैर-फंड एक्सपोजर शामिल होंगे।

B. समाधान योजना का कार्यान्वयन

4. सभी ऋणदाताओं को बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों को लागू करना चाहिए।

इस ढांचे के तहत तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान, जिसमें

समाधान के लिए समय-सीमा। जैसे ही उधारकर्ता में कोई चूक होती है

किसी भी ऋणदाता के साथ इकाई का खाता, सभी ऋणदाता "अकेले या संयुक्त रूप से"

चूक को ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे। समाधान योजना (आरपी)

इसमें कोई भी कार्य/योजना/पुनर्गठन शामिल हो सकता है, लेकिन नहीं

तक सीमित, पूरे भुगतान द्वारा खाते का नियमितीकरण

उधारकर्ता इकाई द्वारा देय राशि, अन्य संस्थाओं को एक्सपोजर की बिक्री

/ निवेशक, स्वामित्व में परिवर्तन, या पुनर्गठन। आर. पी.

सभी ऋणदाताओं द्वारा स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाए (भले ही कोई परिवर्तन न हो) किसी भी नियम और शर्तों में)।

ग. आर. पी. के लिए कार्यान्वयन शर्तें 5. उधारकर्ता संस्थाओं के संबंध में एक आर. पी. जिन्हें ऋणदाता

क्रेडिट एक्सपोजर जारी रखना, माना जाएगा

' केवल तभी लागू किया जाता है जब निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाता हैः

ए। उधारकर्ता इकाई अब किसी के साथ चूक में नहीं है

ऋणदाता; बी। यदि संकल्प में पुनर्गठन शामिल है; तो

आई. ऋणदाताओं और उधारकर्ता के बीच आवश्यक समझौतों के निष्पादन सहित सभी संबंधित दस्तावेज।

प्रतिभूतियों का प्रतिभूति शुल्क/पूर्णता पूरी की जाती है

सभी ऋणदाता; और ii. नई पूंजी संरचना और/या मौजूदा ऋणों की शर्तों में परिवर्तन पुस्तकों में विधिवत प्रतिबिंबित होते हैं।

सभी ऋणदाताओं और उधारकर्ता से।

6. इसके अतिरिक्त, स्वामित्व में पुनर्गठन/परिवर्तन से जुड़े आर. पी.

'बड़े' खातों के संबंध में (अर्थात, ऐसे खाते जहां कुल

अनुलग्नक-I) के परिशिष्ट में एक कठिनाई दी गई है, जो संस्करण को रियायत प्रदान करती है। पुनर्गठन में आम तौर पर अग्रिमों की शर्तों में संशोधन शामिल होता है।आई. टी. एस., जिनमें अन्य बातों के अलावा, पुनर्भुगतान अवधि में परिवर्तन/चुकाने योग्य टी/किश्तों की राशि/ब्याज की दर शामिल हो सकती है; क्रेडिट सुविधाओं का रोल ओवर; अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा पर; मौजूदा क्रेडिट सीमाओं में वृद्धि; और, ऐसे निपटान जहां निपटान राशि के भुगतान का समय तीन एस से अधिक है।

【 अरानी सागर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अवशिष्ट ऋण का स्वतंत्र ऋण मूल्यांकन (आईसीई) 3 ऋण द्वारा रिजर्व द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मूल्यांकन एजेंसियां (सी. आर. ए. एस.)

इस उद्देश्य के लिए बैंक। जबकि कुल एक्सपोजर वाले खाते

5 अरब और उससे अधिक के लिए दो ऐसे आईसीई की आवश्यकता होगी, अन्य

एक आई. सी. ई. की आवश्यकता है। केवल ऐसे आर. पी. जो क्रेडिट राय प्राप्त करते हैं

एक या दो सी. आर. ए. एस. से अवशिष्ट ऋण के लिए आर. पी. 46 या बेहतर मामला हो सकता है, कार्यान्वयन के लिए विचार किया जाएगा। इसके अलावा,

आई. सी. ई. एस. निम्नलिखित के अधीन होगाः

ए। सी. आर. ए. सीधे ऋणदाताओं द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और

ऐसे कार्यों के लिए शुल्क का भुगतान इसके द्वारा किया जाएगा ऋणदाता।

बी। यदि ऋणदाता आवश्यक संख्या से अधिक से आईसीई प्राप्त करते हैं सी. आर. ए. एस. के लिए ऐसी सभी आई. सी. ई. राय आर. पी. 4 या बेहतर होगी।

कार्यान्वयन के लिए आर. पी. पर विचार किया जाना चाहिए।

XXX XXX XXX

घ. आई. बी. सी. के अंतर्गत संदर्भित किए जाने वाले बड़े खातों के लिए समय-सीमा

1 मार्च, 2018 को या उसके बाद 20 अरब डॉलर और उससे अधिक ('संदर्भ') तारीख '), उन खातों सहित जहां समाधान किया गया हो सकता है

पुनर्गठित मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत जो वर्तमान में संबंधित निर्दिष्ट अवधि (पिछले दिशानिर्देशों के अनुसार), आर. पी.

निम्नलिखित समय सीमा के अनुसार लागू किया जाएगाः

आई. यदि संदर्भ तिथि पर डिफ़ॉल्ट रूप से, तो 180 दिनों के बाद

संदर्भ तिथि।

ii. यदि संदर्भ तिथि के बाद डिफ़ॉल्ट रूप से, तो 180 दिनों के बाद

इस तरह के पहले डिफ़ॉल्ट की तारीख।

9. यदि इतने बड़े खातों के संबंध में आर. पी. को लागू नहीं किया जाता है

पैराग्राफ 8 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार, ऋणदाता फाइल करेंगे।

दिवाला के तहत अकेले या संयुक्त रूप से दिवाला आवेदन और

इस संदर्भ में, उधारकर्ता इकाई के अवशिष्ट ऋण का अर्थ है कुल ऋण आधारित और साथ ही गैर-निधि आधारित) जिसकी परिकल्पना सभी ऋणदाताओं द्वारा की गई है।

आरपी का विरोध किया। x-2 आर. पी. प्रतीकों की सूची प्रदान करता है जिन्हें सी. आर. ए. एस. द्वारा आईसीई के रूप में प्रदान किया जा सकता है और

ईनिंग्स।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिवालियापन संहिता 2016 (आई. बी. सी.) 'की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर

उक्त समयरेखा। XXX XXX XXX

12. 20 अरब डॉलर से कम और 1 अरब डॉलर या उससे अधिक के ऋणदाताओं के कुल जोखिम वाले अन्य खातों के लिए, रिजर्व बैंक दो साल की अवधि में आरपी को लागू करने के लिए संदर्भ तिथियों की घोषणा करने का इरादा रखता है ताकि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसे सभी खातों में से। XXX XXX XXX

V. मौजूदा निर्देशों को वापस लेना

18. संकटग्रस्त परिसंपत्तियों को पुनर्जीवित करने की रूपरेखा, निगमित ऋण पुनर्गठन योजना, मौजूदा दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना, रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना (एस. डी. आर.), एस. डी. आर. के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन और संकटग्रस्त परिसंपत्तियों की सतत संरचना के लिए योजना (एस. 4. ए.) जैसी संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर मौजूदा निर्देश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए गए हैं। तदनुसार, संकटग्रस्त खातों के समाधान के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में संयुक्त ऋणदाता मंच (जे. एल. एफ.) को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे खातों सहित सभी खाते जहाँ किसी भी योजना को लागू किया गया है लेकिन अभी तक नहीं

लागू किया गया, संशोधित ढांचे द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 19. इस परिपत्र में शामिल परिपत्रों/निर्देशों/दिशा-निर्देशों की सूची और इस प्रकार इस परिपत्र की तारीख से निरस्त की जाती है जो अनुलग्नक-3 में दी गई है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए, 35 एए (भारत सरकार द्वारा 5 मई, 2017 को जारी S.O.1435 (ई) के साथ पढ़ा गया) और 35 एबी के तहत प्रदान किया गया; और, रिजर्व की धारा 45 एल भारतीय बैंक अधिनियम, 1934 "।

आई. बी. सी. के तहत अधिसूचित संस्थाओं के संबंध में।निर्धारित समय-सीमाएँ ऊपरी सीमाएँ हैं। ऋणदाता समय सीमा समाप्त होने से पहले या आई. बी. सी. के बाहर आर. पी. का प्रयास किए बिना भी उधारकर्ताओं के खिलाफ आई. बी. सी. के तहत दिवालियापन एन. एस. दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।

DHARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और दिवालियापन संहिता, 2016 ("दिवाला संहिता") केवल तभी हो सकती है जब समाधान योजना जिसमें पुनर्गठन शामिल है, सभी ऋणदाताओं द्वारा सहमत हो, यानी 100 प्रतिशत सहमति। दूसरा, सर्कुलर की विषय वस्तु के रूप में जो चुना गया है, वह 2000 करोड़ रुपये के कुल एक्सपोजर के साथ ऋण है और 01.03.2018 पर या उसके बाद। ऐसे ऋणों के संबंध में, यदि चूक 01.03.2018 से 180 दिनों तक बनी रहती है, या यदि पहली चूक की तारीख 01.03.2018 के बाद है, तो उस तारीख से प्रभावी 180 दिनों की गणना की जाती है, ऋणदाता उपरोक्त 180 दिनों की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर दिवाला संहिता के तहत अकेले या संयुक्त रूप से आवेदन दायर करेंगे। संक्षेप में, जब तक 2000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल ऋण के संबंध में पुनर्गठन प्रक्रिया को संदर्भ तिथि या पहली चूक की तारीख से 195 दिनों को या उससे पहले पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, तब तक ऋणदाताओं को वित्तीय लेनदारों के रूप में आवेदन दायर करने होंगे।

दिवाला संहिता। यह ध्यान दिया जाएगा कि उपरोक्त परिपत्र जारी करने के लिए शक्ति के स्रोतों को केंद्र सरकार के परिपत्र के साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35ए के रूप में पढ़ा गया है दिनांक 05.05.2017, उक्त अधिनियम की धारा 35AA और 35AB, और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ["RBI अधिनियम"] की धारा 45L। यहां यह कहा जा सकता है कि दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने विभिन्न स्थानांतरण याचिकाओं को अनुमति दी और 2018 की रिट याचिका संख्या 1086 में आदेश दिए, जिसके द्वारा यह आदेश दिया गया था कि इस बीच आज की स्थिति को बनाए रखा जाएगा। नतीजतन, जहां तक इस न्यायालय में याचिकाओं और स्थानांतरित मामलों का संबंध है, परिपत्र पर प्रभावी रूप से रोक लगा दी गई है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से आरोप का नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। डॉ. सिंघवी पक्ष में उपस्थित होते हैं।

बिजली उत्पादक संघ, बिजली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सामान्य तौर पर। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, विद्युत अधिनियम, 2003 ["विद्युत अधिनियम"] को एक पूर्ण संहिता के रूप में अधिनियमित किया गया था

निजी क्षेत्र को विनियमित करना। उनके अनुसार, इस्पात और सीमेंट क्षेत्र जैसे क्षेत्रों के विपरीत, बिजली क्षेत्र पूरी तरह से विनियमित है और जो शुल्क तय किए जाते हैं, वे बिजली अधिनियम की धारा 62 या धारा 63 के तहत बिजली नियामक आयोगों द्वारा निर्धारित/अपनाए जाने के बाद ही हो सकते हैं। इसलिए, बिजली क्षेत्र एक प्रतिबंधित बाजार में एक खिलाड़ी है-बिजली केवल बिजली अधिनियम की धारा 12 के तहत वितरण लाइसेंसधारी या व्यापार लाइसेंसधारी द्वारा खरीदी जा सकती है, जो केवल राज्य बिजली नियामक आयोगों के पूर्व अनुमोदन के साथ ही की जा सकती है। यहाँ तक कि बिजली के संचरण के लिए भी संचरण [2019] 6 एस. सी. आर. की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।

लाइसेंसधारी, और इसलिए, खरीदारों की प्रतिस्थापनशीलता असंभव है क्योंकि बिजली की आपूर्ति के साधन आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उसे मजबूत करने के लिए

प्रस्तुतियाँ, डॉ. सिंघवी ने रिपोर्टों पर बहुत अधिक भरोसा किया

संसदीय स्थायी समितियाँ जो समय-समय पर बिजली क्षेत्र की समस्याओं को देख रही थीं। इस प्रकार, बिजली क्षेत्र में दबावग्रस्त/गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर 37 वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट दिनांक आई. डी. 1 में दर्ज की गई है कि निजी क्षेत्र में 85, आई. डी. 2 एम. डब्ल्यू. में से 40,130 एम. डब्ल्यू. की 34 संकटग्रस्त परियोजनाएं थीं, जिन पर आई. एन. आर. 3 करोड़ का ऋण बकाया था। इनमें से 34,044 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां ("एन. पी. ए. एस".) मुख्य रूप से सरकारी नीति परिवर्तनों, पूरा करने में विफलता के कारण हैं। सरकार द्वारा प्रतिबद्धताएं, विलंबित नियामक प्रतिक्रिया और गैर

डिस्कॉम द्वारा देय राशि का भुगतान। इसलिए इस रिपोर्ट में सत्ता में एन. पी. ए. की समस्या पर गौर करने के लिए एक कार्य बल के गठन की सिफारिश की गई है।

सेक्टर।

4. डॉ. सिंघवी ने तब ईंधन की अनुपलब्धता पर ध्यान दिया और हमें नई कोयला वितरण नीति 18.10.2007 के माध्यम से ले गए, जिसके द्वारा ताप विद्युत परियोजनाओं को 100 प्रतिशत कोयले की आपूर्ति का आश्वासन दिया गया। यह 2013 में भारत सरकार के प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप काफी बदल गया, जिसने केवल उन स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आई. पी. पी.) को कोयले की आपूर्ति को दीर्घकालिक बिजली खरीद समझौतों (पी. पी. ए.) के साथ सीमित कर दिया और अन्यथा कोयले की आवश्यकता के 65 प्रतिशत तक सीमित आपूर्ति की। अगस्त/सितंबर, 2014 में एक और झटका लगा क्योंकि बिजली क्षेत्र को आवंटित कोयला खदानों को उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोहर लाल शर्मा बनाम मामले में एक फैसले द्वारा रद्द कर दिया गया था। प्रधान सचिव और अन्य। , (2014) 9 एससीसी 516। शक्ति योजना जैसे उपचारात्मक उपाय 22.05.2017 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के तीन साल बाद ही शुरू किए गए थे। यहां तक कि इस योजना ने कोयले की आपूर्ति 75 प्रतिशत तक सीमित कर दी।

2007 में जो आश्वासन दिया गया था, उसकी तुलना में कोयले की सुनिश्चित आपूर्ति। 37 वीं और 40 वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इन सब पर टिप्पणी की गई थी। जहाँ तक गैस आधारित संयंत्रों का संबंध है, 42 वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इसी कहानी का उल्लेख किया गया है -

हाय जैसा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में होता है-गैस, जिसमें बिजली क्षेत्र को मूल रूप से प्राथमिकता दी गई थी, को बाद में नो-कट के तहत 2013-14 में रखा गया था।

श्रेणी, जिससे बिजली क्षेत्र को गैस की आपूर्ति में भारी कमी आई है। डॉ. सिंघवी ने विभिन्न रिपोर्टों का भी उल्लेख किया जो दर्शाती हैं कि अक्टूबर, 2018 तक डिस्कॉम ने उत्पादन करने वाली कंपनियों को लगभग 39,500 करोड़ रुपये के बकाया के बदले केवल 8,710 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

यह स्थिति DHARANI SUGARS AND CHEMICALS LTD को मिल जाती है। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न्यायनिर्णयन में विलम्ब और इसके परिणामस्वरूप भुगतान द्वारा वृद्धि

डिस्कॉम। इसके बाद उन्होंने निजी क्षेत्र में बिजली कंपनियों के विपरीत सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली कंपनियों को दिए जाने वाले तरजीही व्यवहार का उल्लेख किया और तर्क दिया कि निजी क्षेत्र में 66,000 मेगावाट की कुल दबाव वाली परिसंपत्तियों के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र में दबाव वाली परिसंपत्तियां शून्य हैं। पी. पी. ए. में प्रवेश की कमी चिंता का एक और कारण था। 37 वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में चिन्हित 40,130 मेगावाट की कुल दबावग्रस्त क्षमता में से पीपीए को केवल 17,708 मेगावाट की क्षमता के लिए निष्पादित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप ईंधन आपूर्ति आदि के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं की कमी है। उनके अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र का प्रभाव सीधे तौर पर 40 वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट पर केंद्रित था। 40 वीं संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रमुख बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ बिजली क्षेत्र के संघों के साथ परामर्श के बाद विवादित भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र की उपयुक्तता और प्रभाव का विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में प्रमुख टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

" (क) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार,

मूल्य क्षरण। (ङ)
भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और बिजली क्षेत्र के प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उचित जाँच और जाँच के बाद, अगस्त 2018 की 40 वीं संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित कहा गया हैः

सुधारः

" (क) बिजली क्षेत्र के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त, प्रासंगिक और क्षेत्र-विशिष्ट उपायों का पता लगाया जाना चाहिए। तनाव-समाधान के लिए क्षेत्र-अज्ञेयवादी दृष्टिकोण अपनाने के बजाय, भारतीय रिज़र्व बैंक को क्षेत्र-अनुकूल उपायों पर विचार करना चाहिए।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू की गई संशोधित रूपरेखा तैयार की गई है।

प्रचलित वास्तविकताओं को नजरअंदाज करना।

(ग) आर. बी. आई. परिपत्र के अनुसार बकाया मूलधन ऋण के 20 प्रतिशत का पुनर्भुगतान बिजली क्षेत्र की संस्थाओं के लिए अव्यावहारिक है और तदनुसार, परिपत्र पुनर्गठन को हतोत्साहित करता है।

मौजूदा प्रवर्तक। (घ) एन. सी. एल. टी. के समक्ष जबरन बिक्री से अर्थव्यवस्था या शक्ति को कोई लाभ हुए बिना सार्वजनिक धन का एक बड़ा त्याग होगा।

सेक्टर।

(ई) बिजली क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि यह कम-मांग-कम-आपूर्ति की स्थिति से मध्यम-उच्च-मांग की स्थिति में संक्रमण के चरण से गुजर रहा है, जो प्रकृति में अस्थायी है।

लूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ और ओआरएस। ,- 2018 का सी. सं. 18170। उन्होंने दिनांकित 5.2018 आदेश की एक प्रति का उल्लेख किया, जिसके द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दियाः

" हम वित्त मंत्रालय, भारत संघ के सचिव से अनुरोध करते हैं कि वे जून, 2018 के महीने में अपने सचिवों और याचिकाकर्ता संघ के एक प्रतिनिधि के माध्यम से 2 से 5 उत्तरदाताओं की एक बैठक आयोजित करें ताकि उनकी शिकायत पर विचार किया जा सके और यह देखा जा सके कि क्या समस्या का कोई समाधान संभव है, ऊर्जा पर स्थायी समिति की सैंतीसवीं रिपोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, जो कि तनावग्रस्त/गैर-प्रदर्शन के संबंध में लोकसभा में प्रस्तुत की गई है।

विद्युत क्षेत्र में परिसंपत्तियाँ। हालाँकि, हम रिपोर्ट को नहीं पढ़ सके, लेकिन हमारा ध्यान विशेष रूप से कुछ टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया था रिपोर्ट के भाग-II में, जो इस प्रकार हैः

【 अरानी सागर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" समिति का विचार है कि परियोजना के लिए वित्त, हालांकि महत्वपूर्ण है, परियोजना के चालू होने के लिए आवश्यक कई कारकों में से केवल एक है। अब तक, हजारों एम. डब्ल्यू. के चालू संयंत्र गंभीर वित्तीय दबाव में हैं और वर्तमान में एस. एम. ए.-1/2 चरण में हैं या एन. पी. ए. बनने के कगार पर हैं। यह ईंधन की कमी, कम इष्टतम लोडिंग, अनटाईड क्षमता, एफ. एस. ए. की अनुपस्थिति और कमी के कारण है।

पी. पी. ए. आदि। इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय आवश्यकता/बिजली की मांग, इस संबंध में आवश्यक अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया गया था। हालांकि, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, ये संयंत्र नकदी प्रवाह से पीड़ित हैं।

क्रेडिट रेटिंग, ब्याज सेवा आदि। इसलिए, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, संयुक्त ऋणदाता मंचों द्वारा केवल आर. बी. आई. के दिशानिर्देशों को यंत्रवत रूप से लागू करने से ये संयंत्र और अधिक मुसीबत में पड़ जाएंगे।

ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं "।

याचिकाकर्ताओं के सदस्यों के खिलाफ वित्तीय संस्थान एसोसिएशन, इस शर्त के अधीन कि सदस्य (सदस्य) जानबूझकर चूककर्ता नहीं हैं जब तक कि बैठक सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत संघ द्वारा आयोजित नहीं की जाती है। हम यह भी देखते हैं कि वित्त मंत्रालय के सचिव याचिकाकर्ताओं के अध्यक्ष सहित सभी संबंधित लोगों को बैठक की तारीख और समय के बारे में सूचित करेंगे।

संघ, बहुत पहले से "।

6. डॉ. सिंघवी ने तब उपरोक्त मामले में आबाद उच्च न्यायालय द्वारा 27.08.2018 पर पारित विस्तृत आदेश का उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने भारत संघ द्वारा लिए गए रुख को निम्नानुसार संपादित किया:

“ 24.1 . . .. जैसा कि पहले देखा गया है, केंद्र सरकार उन्हें कुछ और समय देने के पक्ष में है ताकि बड़े हित में बिजली क्षेत्र को बचाया जा सके। श्री तुषार मेहता, विद्वान एएसजी,

प्रस्तुत किया कि यह वांछनीय है, क्षेत्र (बिजली) पर विचार करते हुए

विशिष्ट मुद्दे "कि परिपत्र के तहत निर्धारित समय-सीमा को 27.08.2018 और उसके बाद [2019] 6 एस. सी. आर. से 180 दिनों के बाद प्रभावी बनाया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय की रिपोर्ट के आधार पर पक्षों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

मंत्रिमंडल की अध्यक्षता में स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति

सचिव। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर समय बढ़ाया जा सकता है और आईबीसी के तहत एक बार भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है।

उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि एक उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त

समिति की स्थापना निम्नानुसार की जानी हैः

" 42. इस पृष्ठभूमि में, मैं उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए इच्छुक हूं इसके संविधान की तारीख से। विद्युत मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के परामर्श के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी को उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य के रूप में तुरंत आमंत्रित करेगा। इस बीच, मेरा मानना है कि केंद्र सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वह इस आदेश में की गई टिप्पणियों के आलोक में आज से 15 दिनों के भीतर स्थायी समिति की रिपोर्ट सहित रिपोर्ट और अन्य सामग्री के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 7 के तहत निर्देश जारी करना चाहेगी। इसे ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर कोई अंतरिम राहत देना वांछनीय नहीं है। यह याचिकाकर्ता-संघों या उसके सदस्यों को तत्काल राहत के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगा, यदि परिस्थितियां ऐसी कार्रवाई के संबंध में अनुरोध और तथ्यात्मक विवरण देती हैं। यह आदेश बी. आर. की धारा 35 ए. ए. के तहत विशिष्ट मामलों में निर्देश जारी करने में आई. बी. सी. की धारा 7 या यहां तक कि आर. बी. आई. के तहत वित्तीय लेनदारों के अधिकारों/शक्तियों में कटौती नहीं करेगा।

निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिनियम

आई. बी. सी. के भाग II का अध्याय II, किसी भी मामले में, जिसमें

याचिकाकर्ता या याचिकाकर्ता संघ के सदस्य।

7. डॉ. सिंघवी ने तब 12.11.2018 की रिपोर्ट का उल्लेख किया

इस प्रकार गठित स्तरीय समिति। इस रिपोर्ट ने विभिन्न प्रकार के

संशोधन। इसमें कहा गया हैः

" 1. लिन्केज कोयले का उपयोग अल्पकालिक पी. पी. ए. के लिए करने की अनुमति दी जा सकती है और एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया का पालन करते हुए डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस (डी. ई. ई. पी.) पोर्टल के माध्यम से बिजली बेची जा सकती है। 2. एक नोडल एजेंसी नामित की जा सकती है जो कोल इंडिया लिमिटेड (सी. आई. एल.) द्वारा पूर्व घोषित लिंकेज के बदले उचित किश्तों में 3 से 5 वर्षों के लिए मध्यम अवधि के लिए थोक बिजली की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित कर सकती है।

IARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

3. एनटीपीसी बिजली के एकत्रीकरणकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है, अर्थात बिजली की खरीद कर सकता है।

पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से

दबाव वाले बिजली संयंत्र और डिस्कॉम को उस बिजली की पेशकश करें एन. टी. पी. सी. के पी. पी. ए. के खिलाफ तब तक जब तक एन. टी. पी. सी. का अपना संबंध न हो।

संयंत्रों/इकाइयों को चालू किया जाता है। 4. कोयला मंत्रालय बिजली के लिए ई-नीलामी कोयले का कम से कम 60 प्रतिशत निर्धारित कर सकता है और यह बिजली क्षेत्र की नियमित कोयले की आवश्यकता के अतिरिक्त होना चाहिए।

5. यदि कोयले की आपूर्ति में कमी है और इसके लिए कोयला मंत्रालय या रेल मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, तो ऐसी कमी समाप्त होने की आवश्यकता नहीं है।

और बाद के महीनों में अधिकतम तक ले जाया जाए

तीन महीने।

6. पुराने और उच्च ताप दर वाले संयंत्र नए का अनुपालन नहीं कर रहे हैं

सेवानिवृत्ति के लिए पर्यावरण मानदंडों पर चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से विचार किया जा सकता है और साथ ही किसी भी मांग से बचा जा सकता है।

बेमेल आपूर्ति करें।

7. बिल पर छूट प्रदान करने वाले सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (पी. एफ. आई. एस.)

सुविधा को त्रिपक्षीय समझौते (टी. पी. ए.) द्वारा भी कवर किया जा सकता है अर्थात डिस्कॉम द्वारा चूक के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों के खाते से बकाया राशि की वसूली कर सकता है और पी. एफ. आई. एस. को भुगतान कर सकता है।

8. पीपीए, ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) और एलटीओए

बिजली के पारेषण, ईसी/एफसी मंजूरी और पानी सहित अन्य सभी अनुमोदनों को जीवित रखा जाए और संबंधित एजेंसियों द्वारा रद्द नहीं किया जाए, भले ही परियोजना को एन. सी. एल. टी. को भेजा गया हो या उसके द्वारा अधिग्रहित किया गया हो।

कोई अन्य इकाई। ये सभी संयंत्र से जुड़े हो सकते हैं न कि

प्रवर्तक।

9. गैस आधारित बिजली संयंत्रों को पुनर्जीवित करने के लिए, बिजली मंत्रालय और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय संयुक्त रूप से एक योजना बना सकते हैं पहले की ई-बोली आर. एल. एन. जी. योजना के अनुरूप योजना (समर्थित)

पी. एस. डी. एफ. द्वारा) "

इसलिए डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि इस तथ्य के बावजूद कि

आर. बी. आई. के प्रतिनिधि ने संसद की बैठकों में भाग लिया

लिंग समिति, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र इस तरह की रिपोर्टों की सिफारिशों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए जारी किया गया था, दोनों से पहले और बाद मेंgned गोलाकार। उनके अनुसार, इसलिए, विशेष समस्याओं [2019] 6 एस. सी. आर. में गए बिना अर्थव्यवस्था के 180 दिनों की सीमा वाले क्षेत्रों को लागू करना।

प्रत्येक क्षेत्र द्वारा सामना किया जाना असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा, और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, 2000 करोड़ रुपये और उससे अधिक की राशि के सभी चूकों को यादृच्छिक रूप से उठाना, साथ ही यह तथ्य कि एक ऋणदाता जिसकी हिस्सेदारी केवल 1 प्रतिशत है, वह भी दिवाला संहिता के तहत समाधान प्रक्रिया को रोक सकता है, परिपत्र को स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

8. उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, डॉ. सिंघवी ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं का बहुत विस्तार से उल्लेख किया और

आर. बी. आई. अधिनियम, और तर्क दिया कि विवादित परिपत्र उन अधिनियमों के प्रावधानों के अधिकार से बाहर था। उनके अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए और धारा 35 एबी संभवतः विवादित परिपत्र के लिए शक्ति का स्रोत नहीं हो सकते हैं। धारा 35 ए को 1956 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था और इसलिए इसका उपयोग संविधान को सशक्त बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।

आर. बी. आई. कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत दिवालिया करने के लिए मजबूर करेगा क्योंकि यह उस समय मौजूद नहीं था, या तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए निर्देश देगा। उन्होंने दृढ़ता से भारतीय बैंकों का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया।

एसोसिएशन वी। देवकला कंसल्टेंसी सर्विस, (2004) 11 एस. सी. सी. 1 ["भारतीय बैंक संघ"] इस प्रस्ताव के लिए कि धारा 35 ए के तहत आर. बी. आई. के कार्य आर. बी. आई. अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम की सीमाओं तक ही सीमित हैं, न कि दिवाला संहिता जैसे अन्य कानूनों तक। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि धारा 35 एए और 35 एबी एक समग्र योजना का हिस्सा हैं। धारा 35 एए अकेले बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियों को दिवाला संहिता के तहत आवेदन दायर करने का निर्देश देने के लिए शक्ति का स्रोत हो सकती है। धारा 35 एबी स्पष्ट रूप से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान को इस तरह से संदर्भित करती है जो दिवाला संहिता है। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के दिनांकित 05.05.2017 परिपत्र का उल्लेख किया, जिसमें रिजर्व बैंक को जारी करने का अधिकार दिया गया था

धारा 35 ए. ए. और 35 ए. बी. को प्रस्तुत करने वाले प्रेस नोट के साथ-साथ उक्त धाराओं को प्रस्तुत करने वाले उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भरोसा किया। 2017 के संशोधन अधिनियम की धाराएँ। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी मामले में, धारा 35 एए और 35 एबी, स्पष्ट रूप से मनमाने प्रावधान होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। इसके अलावा, वे सत्ता के अत्यधिक प्रत्यर्पण के आधार पर भी मनमाने हैं।

DHARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

9. श्री मुकुल रोहतगी, श्री साजन पूवय्या, श्री के. वी.

विश्वनाथन, श्री नीरज किशन कौल, श्री नवनीति प्रसाद सिंह, श्री पी. एस. नरसिम्हा, श्री अरविंद पी. दातार और श्री गोपाल जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री पुलकित देवड़ा, श्रीमती। पूर्ति मारवाह गुप्ता और विद्वान अधिवक्ता श्री ई. आर. कुमार ने भी डॉ. सिंघवी की दलीलों का समर्थन किया है। ये वकील दूरसंचार, इस्पात, अवसंरचना, खेल अवसंरचना, चीनी, उर्वरक, शिपयार्ड आदि जैसे कई अन्य क्षेत्रों से जुड़े मामलों में पेश हुए हैं। उनमें से प्रत्येक ने सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप आने वाली कठिनाइयों और इन सभी क्षेत्रों में वित्तीय तनाव के अन्य कारणों पर प्रकाश डाला है, जिनका इन क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के प्रबंधन की दक्षता से कोई लेना-देना नहीं है। उन सभी के पास

डॉ. सिंघवी के तर्कों को स्वीकार करते हुए कहा कि प्रत्येक क्षेत्र की समस्याओं पर गौर किए बिना और उन्हें हल करने का प्रयास किए बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र अच्छे और बुरे के लिए समान रूप से बोर्ड को लागू करता है, और इस तथ्य के बावजूद कि कुछ कॉर्पोरेट देनदार समाधान के कगार पर हैं, 180 दिनों का चॉपर उन पर आ जाता है और वे दिवाला संहिता में चले जाते हैं। सरकार ने माना है कि, उदाहरण के लिए, खेल अवसंरचना क्षेत्र में, गर्भावस्था की बहुत बड़ी अवधि आवश्यक है।

कौन-सा पूँजीगत आधारभूत संरचना निवेश होता है और कौन-सा नतीजतन समाधान के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपनी अलग-अलग बारीकियों के साथ यह भी तर्क दिया है कि कैसे भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र मनमाना है और बैंकिंग विनियमन अधिनियम और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

10. भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने हमें भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताया है। अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम ने हमें इस तथ्य से प्रभावित किया है कि इन अधिनियमों में निर्धारित नियामक व्यवस्था का व्यापक रूप से, सार्वजनिक हित में, बैंकिंग नीति के हित में और सबसे बढ़कर, जमाकर्ताओं के हित में अर्थ लगाया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और दिवाला संहिता देश की ऋण प्रणाली के संचालन से जटिल रूप से संबंधित हैं, और इसलिए, इसकी एक विस्तृत व्याख्या की जानी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक का परिपत्र केवल बैंकों को यह बताने का एक प्रयास है कि जहां तक 2000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी ऋणों का संबंध है, उन्हें छह महीने की उचित अवधि दी जाएगी, जिसके भीतर या तो तनावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया जा सकता है या अन्यथा, यदि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद ही दिवाला संहिता के तहत आगे बढ़ना होगा। उनके अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र के खंड 4 में यह स्पष्ट किया गया है कि बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए छह महीने की इस अवधि में दबाव वाली परिसंपत्तियों को हल करने के लिए अधिक लचीलापन दिया गया है, यहां तक कि पहले प्रतिबंधात्मक (2019) 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसे परिपत्र जिन्हें दिनांक 12.02.2018 के परिपत्र द्वारा समाप्त कर दिया गया है ताकि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों को उचित अवधि के भीतर हल करने का प्रयास किया जा सके, जिसके बाद ऐसे संस्थानों पर दिवाला संहिता को आगे बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है। उनके अनुसार, परिपत्र स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं है। इसके विपरीत, यह जनहित में और जनता के हित में है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यह देखने के लिए कि ऋणों का सदाबहार होना जारी न रहे

अनिश्चित काल के लिए। इसलिए, ये भारी राशियाँ जो देय हैं और देय हैं, उन्हें आगे के उत्पादक उपयोग के लिए अर्थव्यवस्था में वापस आना चाहिए। या तो वे परिपत्र द्वारा दी गई छह महीने की छूट अवधि के भीतर या दिवाला संहिता के माध्यम से वापस आ सकते हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद के उद्देश्य के लिए होती है, जिसे तब उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिन रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है, उनमें से किसी पर भी संसद द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, और इसलिए, जो मामले को बहुत आगे नहीं ले जा सकती है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि कार्यपालिका, यानी सरकार भी इन रिपोर्टों के संदर्भ में कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का फैसला किया है। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 7 पर भरोसा किया, जिसके तहत केंद्र सरकार समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक को ऐसे निर्देश दे सकती है कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के साथ परामर्श करने के बाद सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे।

आरबीआइ। इसलिए याचिकाकर्ताओं के मामले का शीट एंकर गायब हो जाता है

ये सभी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को कहीं भी नहीं ले जाती हैं, जिन पर संसद या केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। यह बहुत अच्छे कारण के लिए है कि अंततः, यह सार्वजनिक हित में है कि या तो एक निश्चित समय सीमा के भीतर संकटग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान किया जाए, या यदि इस तरह के समाधान में असमर्थ हैं, तो दिवाला संहिता के मार्ग का पालन किया जाना चाहिए। जहाँ तक धारा 35 एए और 35 एबी की शक्तियों का संबंध है, श्री द्विवेदी ने हमारे हाल के प्रावधानों पर भरोसा किया।

स्विस रिबन्स प्रा. लि. में निर्णय। लिमिटेड और एन. आर. वी. भारत संघ और ओआरएस। , 2019 (2) स्केल 5 ["स्विस रिबन"], यह कहते हुए कि संसद को उन समस्याओं से निपटने के लिए बड़ी छूट दी जानी चाहिए जो समग्र रूप से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। पर्याप्त मार्गदर्शक सिद्धांत है और उपरोक्त किसी भी प्रावधान में कोई स्पष्ट मनमानेपन नहीं है। इसके अलावा, सत्ता के अत्यधिक हस्तांतरण का भी कोई सवाल नहीं है, क्योंकि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की प्रस्तावना से इसके प्रावधानों के साथ मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। जहां तक भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र का संबंध है, उन्होंने तर्क दिया कि यह शक्ति के चार स्रोतों, अर्थात् बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21,35 ए, 35 एए और 35 एबी के लिए पता लगाने योग्य है। जहाँ तक

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का संबंध है, इसका पता भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एल से लगाया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, एक जनरल

इस तरह का परिपत्र निश्चित रूप से जनहित में और धारा सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड में जारी किया जा सकता है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का हित। इनमें से किसी भी प्रावधान का कोई भी प्रतिबंधात्मक अध्ययन केवल पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। मोटे तौर पर पढ़ें, इसलिए, आर. बी. आई. परिपत्र को अति नहीं कहा जा सकता है। वायर्स।

सॉलिसिटर जनरल, धारा 35 एए और 35 एबी लोक हित में बनाए गए नियामक प्रावधान हैं जिन्हें संभवतः किसी भी तरह से स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने स्विस रिबन (ऊपर) के निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा किया। इसके अलावा, उपरोक्त धाराओं को दिशाहीन प्रावधान नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को इन धाराओं से पर्याप्त मार्गदर्शन मिलता है। प्रस्तावना के साथ-साथ बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अन्य प्रावधान। उन्होंने आगे कहा कि धारा 35 एए के संबंध में केंद्र सरकार का प्राधिकरण सामान्य प्रकृति का होना चाहिए, जिसके बाद, भारतीय रिजर्व बैंक को उचित विचार-विमर्श के साथ इस तरह की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

क्षेत्र-देश के विशेषज्ञ वित्तीय नियामक और केंद्रीय बैंक के रूप में विशिष्ट देखभाल। उन्होंने प्रस्तुत किया कि आदर्श रूप से, धारा 35 एए के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई शक्ति का प्रयोग करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्षेत्रवार आकस्मिक विश्लेषण किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में, जहां तक बिजली क्षेत्र का संबंध है, उनका विचार था कि भारतीय रिज़र्व बैंक को केंद्र सरकार द्वारा बिजली वापस लाने के लिए उठाए जा रहे कदमों को देखते हुए इसे अन्य सभी क्षेत्रों से अलग तरीके से देखा गया है

अपने पैरों पर सेक्टर।

12. इस मोड़ पर, आक्षेपित वृत्त की उत्पत्ति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। दिनांक 13.06.2017 की एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, RBI ने

दिवाला संहिता के तहत बैंकों द्वारा संदर्भ के लिए कुछ खातों की पहचान की गई। यह प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार हैः

" भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.) के तहत बैंकों द्वारा संदर्भ के लिए खातों की पहचान की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई, 2017 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें बैंकिंग विनियमन (संशोधन) की घोषणा के अनुसार उठाए गए कदमों को रेखांकित किया गया था। अध्यादेश, 2017। प्रेस विज्ञप्ति में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक एक समिति का गठन करेगा जिसमें प्रमुख रूप से [2019] 6 एस. सी. आर. शामिल होंगे।

बोर्ड के स्वतंत्र सदस्य इसे उन मामलों के संबंध में सलाह देंगे जिन पर समाधान के लिए विचार किया जा सकता है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 (आई. बी. सी.)।

2. तदनुसार एक आंतरिक सलाहकार समिति (आई. ए. सी.) थी। इसका गठन किया गया और इसकी पहली बैठक 12 जून, 2017 को हुई। आई. ए. सी. ने बैठक में इस स्तर पर बड़े तनावग्रस्त खातों पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति व्यक्त की और तदनुसार उन खातों पर विचार किया जिन्हें आंशिक या पूर्ण रूप से गैर-निष्पादित खातों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

बैंकिंग प्रणाली में शीर्ष 500 प्रदर्शनों में से एक।

3. आई. ए. सी. आई. बी. सी. के तहत समाधान के लिए खातों को संदर्भित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण, गैर-विवेकाधीन मानदंड पर भी पहुंचा। विशेष रूप से, आई. ए. सी. ने 5000 करोड़ रुपये से अधिक की निधि और गैर-निधि आधारित बकाया राशि वाले सभी खातों को आई. बी. सी. के संदर्भ में रखने की सिफारिश की। 60 % या 31 मार्च, 2016 तक बैंकों द्वारा गैर-निष्पादित के रूप में अधिक वर्गीकृत। आई. ए. सी. ने नोट किया कि अनुशंसित मानदंड के तहत, बैंकिंग प्रणाली के वर्तमान सकल एन. पी. ए. का लगभग 25 प्रतिशत कुल 12 खाते आई. बी. सी. के तहत तत्काल संदर्भ के लिए योग्य होंगे।

4. अन्य गैर-निष्पादित खातों के संबंध में जो उपरोक्त मानदंडों के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, आई. ए. सी. ने सिफारिश की कि बैंकों को छह महीने के भीतर एक समाधान योजना को अंतिम रूप देना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां छह महीने के भीतर एक व्यवहार्य समाधान योजना पर सहमति नहीं होती है, बैंकों को इसके तहत दिवालिया कार्यवाही के लिए दाखिल करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

5. आई. ए. सी. की सिफारिशों के आधार पर रिजर्व बैंक तदनुसार बैंकों को चिन्हित खातों के संबंध में आई. बी. सी. के तहत दिवालिया कार्यवाही के लिए निर्देश जारी करेगा। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. टी.) द्वारा ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। 6. अन्य गैर-निष्पादित खातों के संबंध में समाधान ढांचे का विवरण आने वाले दिनों में जारी किया जाएगा।

13. इस स्तर पर, पहले कदम के रूप में, आंतरिक सलाहकार समिति सी ने 31.03.2017 पर बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष 500 प्रतिभूतियों के भीतर तनावग्रस्त परिसंपत्तियों पर विचार करने का निर्णय लिया। 500 का यह समूहआई. एन. टी. एस. केंद्रीय धारा सागर और रसायन लिमिटेड से उत्पन्न बयान के अनुसार आया था।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बड़े ऋणों पर सूचना का भंडार ["सी. आर. आई. एल. सी".] डेटाबेस। उक्त शीर्ष 500 खातों में से 71 खातों को आंशिक या पूर्ण रूप से एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जबकि अन्य 429 खातों को किसी भी बैंक द्वारा एन. पी. ए. के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। इस पहली सूची के उद्देश्य के लिए, निम्नलिखित मानदंड लागू किए गए थेः

ए। जिन खातों में वित्त पोषित और गैर-वित्त पोषित बकाया था INR 5000 करोड़ से अधिक;

बी। जिन खातों में 31 मार्च, 2016 तक कुल बकाया राशि का 60 प्रतिशत से अधिक एन. पी. ए. था।

नतीजतन, उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले 12 खातों को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार दिवाला संहिता के तहत समाधान के लिए भेजा गया था दिनांकित 15.06.2017। यह ध्यान देने योग्य है कि पहली सूची में खाते प्रणाली में एन. पी. ए. का लगभग 25 प्रतिशत थे और

संचयी निधि-आधारित और गैर-निधि-आधारित बकाया 197,769 करोड़ रुपये था। 14. आई. ए. सी. ने बाद में फिर से बैठक की और आई. डी. 1 पर निर्णय लिया कि शीर्ष 500 एक्सपोजर में से 59 शेष एन. पी. ए. खातों में से,

ऐसे खाते जो भौतिक रूप से एन. पी. ए. हैं (यानी, जहां कुल बकाया का 60 प्रतिशत 30.06.2017 द्वारा एन. पी. ए. हो गया है) को समाधान के लिए 13.12.2017 तक का समय दिया जा सकता है। यदि बैंक उक्त तिथि तक एक व्यवहार्य समाधान योजना को अंतिम रूप देने और लागू करने में विफल रहते हैं, तो बैंकों को 31.12.2017 से पहले दिवाला संहिता के तहत आवेदन दायर करने होंगे। आई. ए. सी. ने कहा

इस मानदंड को लागू करने से 29 एन. पी. ए. खातों को कवर किया जाएगा, जिसमें कुल 1,35,846 करोड़ रुपये का बकाया और 1,11,848 करोड़ रुपये का कुल निधि-आधारित एन. पी. ए. होगा। यह ध्यान देने योग्य है कि 28.08.2017 पर, RBI ने बैंकों को निर्देश देते हुए एक पत्र जारी किया कि वे इस दूसरी सूची में खातों का समाधान 13.12.2017 द्वारा करने का प्रयास करें। जहाँ तक अवशिष्ट खातों का संबंध है,

शुरू में पहचाने गए 71 एन. पी. ए. खातों में से, आई. ए. सी. ने सिफारिश की कि ऐसे खातों को समयबद्ध तरीके से दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए एक स्थिर-राज्य ढांचे के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है और इस तरह के समाधान में विफल रहने पर, खातों को दिवाला संहिता के तहत समाधान के लिए भेजा जाना चाहिए। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने संशोधित रूपरेखा तैयार की और जारी की इसके परिपत्र दिनांक 12.02.2018 को देखें।

15. इस बीच, वित्त मंत्रालय ने धारा 35 एए के तहत दिनांक 05.05.2017 पर एक अधिसूचना जारी कीः

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 मई, 2017

एस. ओ. 1435 (ई)। धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

त्राल सरकार एतद्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत करती है - किसी भी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनी को इस तरह के निर्देश जारी करें

एन. आई. एस. जिन्हें दिवाला शुरू करने के लिए आवश्यक माना जा सकता है

के प्रावधानों के तहत चूक के संबंध में समाधान प्रक्रिया

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 "।

यह अगले ही दिन हुआ जिस दिन बैंकिंग

लेशन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 ने धारा 35 एए को लागू किया

5 बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन के रूप में एबी। एक प्रेस नोट

ई 05.05.2017 का वित्त मंत्रालय इसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है

हंस इस प्रकार हैः

" प्रेस सूचना ब्यूरो

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

05 - मई-

2017

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) की घोषणा

अध्यादेश, 2017 से प्रभावी समाधान होगा -

दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ, विशेष रूप से संघ या कई परिसंपत्तियों में

बैंकिंग व्यवस्थाएँ।

अध्यादेश केंद्र सरकार को सक्षम बनाता है कि

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को निर्देश देने के लिए अधिकृत करें

विशिष्ट दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का समाधान करने के लिए बैंकिंग कंपनियां।

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) की घोषणा

अध्यादेश, 2017 में दो नई धाराओं को शामिल किया गया (अर्थात। 35 एए और 35 एबी) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 ए के बाद

केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत करेगी

(आर. बी. आई.) बैंकिंग कंपनियों को विशिष्ट दबाव का समाधान करने का निर्देश देगा जहां आवश्यकता हो, दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करके परिसंपत्तियाँ।

आर. बी. आई. को आई. ए. आर. ए. एन. आई. सागर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के लिए अन्य निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है।

भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिए प्राधिकरणों या समितियों की नियुक्ति या अनुमोदन करना संकल्प।

केंद्र सरकार की इस कार्रवाई का सीधा प्रभाव इन पर पड़ेगा - दबावग्रस्त परिसंपत्तियों का प्रभावी समाधान, विशेष रूप से संघ या कई बैंकिंग व्यवस्थाओं में, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के समाधान के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा, ताकि उन्हें एक निश्चित निष्कर्ष पर लाया जा सके।

सरकार बैंकिंग प्रणाली में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आई. बी. सी.), 2016 के हालिया अधिनियमन ने संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए नए संभावित संबंध खोले हैं। सुधारों को सुविधाजनक बनाने के लिए सरफेसी और ऋण वसूली अधिनियमों में संशोधन किया गया है। संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समय पर समाधान के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

(जोर दिया गया)

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 तब था

एड इस प्रकार है:

" कानून और न्याय मंत्रालय

4 मई,

2017

बैंकिंग विनियमन में संशोधन के लिए एक और अध्यादेश

अधिनियम, 1949।

जहाँ बैंकिंग प्रणाली में दबाव वाली परिसंपत्तियाँ हैं

अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर तक पहुँच गए हैं और तत्काल उपाय किए गए हैं उनके समाधान के लिए पूछताछ की;

और जहां दिवाला और दिवालियापन सीओई, 2016

संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है निगमित व्यक्तियों का पुनर्गठन और दिवाला समाधान,

समयबद्ध तरीके से साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिए

उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करना,

ऋण की उपलब्धता और सभी के ब्याज को संतुलित करना

हितधारक;

[2019] 6 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और जहां दिवाला और दिवालियापन के प्रावधान हैं

कोड, 2016 का प्रभावी ढंग से तनाव के समाधान के लिए उपयोग किया जा सकता है। बैंकिंग नियामक को निर्देश जारी करने के लिए सशक्त बनाकर परिसंपत्तियाँ

तत्काल कार्रवाई करने के लिए; अब, इसलिए, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

संविधान के अनुच्छेद 123 का खंड (1) राष्ट्रपति को प्रसन्न करता है।

निम्नलिखित अध्यादेश जारी करनाः

1. (1) इस अध्यादेश को बैंकिंग विनियमन कहा जा सकता है।

(संशोधन) अध्यादेश, 2017।

(2) यह तुरंत लागू हो जाएगा।

2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में, धारा 35 ए के बाद, निम्नलिखित धाराओं को जोड़ा जाएगा, अर्थात्ः

' 35 एए। केंद्र सरकार आदेश द्वारा अधिकृत कर सकती है

रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करेगा या

बैंकिंग कंपनियाँ दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करेंगी दिवाला के प्रावधानों के तहत चूक का सम्मान

और दिवालियापन संहिता, 2016।

स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "डिफ़ॉल्ट" है

धारा 3 के खंड (12) में इसका वही अर्थ निर्दिष्ट किया गया है।

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।

35 एबी। (1) धारा 35 क के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

रिजर्व बैंक समय-समय पर निर्देश जारी कर सकता है - दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बैंकिंग कंपनियाँ।

(2) रिजर्व बैंक एक या अधिक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट कर सकता है या रिजर्व बैंक जैसे सदस्यों वाली समितियाँ

बैंकिंग को सलाह देने के लिए नियुक्ति या अनुमोदन करें

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर कंपनियाँ।

(जोर दिया गया)

इस अध्यादेश को बैंकिंग विनियमन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

समाप्ति) विधेयक, 2017 दिनांक 14.07.2017। उपरोक्त विधेयक के उद्देश्यों का विवरण कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

【 अरानी सागर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" बैंकिंग विनियमन

(संशोधन) बिल, 2017

XXX XXX XXX

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

बैंकिंग प्रणाली में दबाव वाली परिसंपत्तियाँ, या गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ अस्वीकार्य रूप से उच्च स्तर पर पहुँच गई हैं और इसलिए, तत्काल

देश के उचित आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए उनके त्वरित समाधान के लिए उपायों की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में प्रावधान करना आवश्यक समझा गया।

2. तदनुसार बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। चूँकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था और तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता थी, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को राष्ट्रपति द्वारा 4 मई, 2017 को लागू किया गया था।

3. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2017, जो बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2017 को बदलने का प्रयास करता है, निम्नलिखित प्रावधान करता है, अर्थात्:

(क) किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करने के लिए रिजर्व बैंक को अधिकृत करने के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करना।

या दिवाला के प्रावधानों के तहत चूक के संबंध में दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए बैंकिंग कंपनियां

और दिवालियापन संहिता, 2016;

(ख) रिजर्व बैंक को दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करना और

के समाधान पर बैंकिंग कंपनियों को सलाह देने के लिए रिजर्व बैंक को एक या अधिक प्राधिकरणों या समितियों को निर्दिष्ट करने की अनुमति दें दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ; तथा

(ग) अधिनियम की धारा 51 में संशोधन करना ताकि उसमें प्रस्तावित नई धारा 35 एए और 35 एबी का संदर्भ दिया जा सके।

4. यह विधेयक उक्त अध्यादेश को बदलने का प्रयास करता है।

XXX XXX XXX

14 जुलाई, 2017 "।

(जोर दिया गया)

तब धारा 35 एए और 35 एबी को विधायी रूप से पेश किया गया था

वीएसः

" बैंकिंग विनियमन

(संशोधन) अधिनियम, 2017

[25 अगस्त, 2017]

प्रधान अधिनियम के रूप में), धारा 35 क के बाद, निम्नलिखित धाराएँ सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्ः

' 35 एए। केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, अधिकृत कर सकती है

रिजर्व बैंक किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करेगा या

दिवाला के प्रावधानों के तहत चूक का सम्मान और दिवालियापन संहिता, 2016।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "डिफ़ॉल्ट" है

धारा 3 के खंड (12) में इसका वही अर्थ दिया गया है जो दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016।

35 एबी। (1) धारा 35 क के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

रिजर्व बैंक समय-समय पर किसी को भी निर्देश जारी कर सकता है।

संकट के समाधान के लिए बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनी

संपत्ति।

(2) रिजर्व बैंक एक या अधिक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट कर सकता है या

ऐसे सदस्यों वाली समितियाँ जिन्हें रिजर्व बैंक नियुक्त कर सकता है।

या किसी बैंकिंग कंपनी को सलाह देने के लिए नियुक्ति के लिए अनुमोदन या

दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर बैंकिंग कंपनियां '।

XXX XXX "

संवैधानिक वैधता

16. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि उपरोक्त अध्यादेश और

एन. डी. एम. टी. अधिनियम दो आधारों पर असंवैधानिक है; (i) कि धारा सागर और केमिकल लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

शुरू की गई धाराएं स्पष्ट रूप से मनमाना हैं; और (ii) कि वे दिशानिर्देशों के अभाव से पीड़ित हैं। जहाँ तक पहली चुनौती का संबंध है, इस न्यायालय ने स्विस रिबन (ऊपर) में हाल के एक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक कानून को बड़े अक्षांश के साथ देखा जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 7 में लोच्नर युग और उसके बाद के परिणाम का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 8 में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया और निम्नलिखित निष्कर्ष निकालाः

" 85. दिवाला संहिता एक ऐसा कानून है जो आर्थिक मामलों से संबंधित है और बड़े अर्थों में अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

पूरे देश में। इससे पहले के प्रयोग, जैसा कि हमने देखा है, विधानों के विफल होने के संदर्भ में, 'परीक्षण' बार-बार 'त्रुटियों' का कारण बना, अंततः संहिता के अधिनियमन का कारण बना। द.

संहिता में निहित प्रयोग, जिसे इसके प्रावधानों की व्यापकता द्वारा आंका जाता है, न कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बताई गई तथाकथित कुरूपताओं और असमानताओं द्वारा, संवैधानिक रूप से पारित किया जाता है।

विशेषज्ञ समितियों द्वारा सरकार जो इस संबंध में स्थापित की गई हैं। जिस छोटी अवधि में संहिता संचालित हुई है, उसमें संहिता के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए अधीनस्थ विधान दोनों में संशोधन किए गए हैं। यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रक्रिया जिसमें याचिकाकर्ताओं सहित सभी हितधारक शामिल हों।

इसी पृष्ठभूमि में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले कानून को देखा जाना चाहिए। यह न्यायालय, शायरा बानो बनाम में। भारत संघ, (2017) 9

एस. सी. सी. 1 ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुच्छेद 14 का उल्लंघन इस आधार पर किया जा सकता है कि ऐसा विधान स्पष्ट रूप से मनमाना है। इस न्यायालय ने इस संबंध में कहा हैः

" 101. यह ध्यान दिया जाएगा कि इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड बनाम. यूनियन ऑफ इंडिया [इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर्स (बॉम्बे) (पी) लिमिटेड v. भारत संघ, (1985) 1 एस. सी. सी. 641: 1985 एस. सी. सी. (कर) 121] ने कहा कि यह तय किया गया कानून था कि अधीनस्थ कानून को चुनौती दी जा सकती है

पूर्ण अधिवेशन के खिलाफ चुनौती के लिए उपलब्ध आधारों में से कोई भी

कानून। इस मामले में, कोई तर्कसंगत अंतर [2019] 6 एस. सी. आर. नहीं है।

जब अनुच्छेद 14 के तहत चुनौती के इस आधार की बात आती है तो दो प्रकार के विधानों के बीच। अतः, जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित किया गया है, स्पष्ट मनमानेपन की कसौटी अमान्य किए गए विधान के साथ-साथ अधीनस्थ विधान पर भी लागू होगी।

अनुच्छेद 14. इसलिए, स्पष्ट मनमानेपन विधायिका द्वारा मूर्खतापूर्ण, तर्कहीन और/या पर्याप्त निर्धारण सिद्धांत के बिना किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब कुछ ऐसा किया जाता है जो अत्यधिक और असमान है, तो ऐसा कानून स्पष्ट रूप से मनमाना होगा। इसलिए हमारा मानना है कि

जैसा कि ऊपर हमारे द्वारा इंगित किया गया है, स्पष्ट मनमानेपन के अर्थ में मनमानेपन निम्न कानूनों को अस्वीकार करने पर भी लागू होगा।

अनुच्छेद 14 "।

हम पर स्पष्ट मनमानेपन का मंत्र फेंकने से कम, याचिकाकर्ताओं में से कोई भी यह इंगित करने में सक्षम नहीं है कि इनमें से कोई भी कैसे

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, और गुणवत्ता में उन किसी भी धारा से अलग नहीं हैं जो पहले से ही ऐसी शक्ति प्रदान कर चुके हैं। इस प्रकार, धारा 21 यह स्पष्ट करती है कि भारतीय रिज़र्व बैंक जनहित में बैंकिंग कंपनियों द्वारा किए गए अग्रिमों को नियंत्रित कर सकता है, और ऐसा करने में, न केवल नीति निर्धारित कर सकता है, बल्कि बैंकिंग कंपनियों को या तो सामान्य सहयोगी या विशेष रूप से निर्देश भी दे सकता है। इसी तरह, धारा 35 ए के तहत, बैंकिंग नीति के हित में, सार्वजनिक हित में बैंकिंग कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए व्यापक शक्तियां दी गई हैं, ताकि किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को इस तरह से संचालित किया जा सके जो लोगों के हित के लिए हानिकारक हो। जमाकर्ता या बैंकिंग कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से, या किसी भी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ये प्रावधान जो भारतीय रिजर्व बैंक को कुछ विनियामक शक्तियां देते हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता है।

17. जब किसी भी दिशानिर्देश की कमी की बात आती है जिसके द्वारा शक्ति

आर. बी. आई. को दिए गए कई निर्णयों से यह स्पष्ट है कि इस तरह का मार्गदर्शन न केवल उद्देश्यों और कारणों के विवरण और अधिनियम की प्रस्तावना से प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि इसके प्रावधानों से भी प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, हरिशंकर बागला बनाम। एम. पी. राज्य, (1955) 1 एस. सी. आर. 380, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

IARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 9. श्री उमरीगर का अगला तर्क कि आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियाँ) अधिनियम, 1946 की धारा 3, अनुमेय सीमाओं के बाहर विधायी शक्ति के प्रत्यर्पण के बराबर है, फिर से बिना किसी योग्यता के है। यह दिल्ली कानून अधिनियम मामले [1951 एस. सी. आर. 747] में बहुमत के फैसले से तय किया गया था कि आवश्यक शक्तियां

विधायिका को कानून की नीति और कानूनी घोषणा करनी चाहिए। सिद्धांत जो किसी भी मामले को नियंत्रित करने के लिए हैं और अधिकारियों या सत्ता में निकाय को निष्पादित करने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एक मानक प्रदान करना चाहिए

कानून। आवश्यक विधायी कार्य में शामिल हैं -

विधायी नीति का निर्धारण या चयन और उस नीति को औपचारिक रूप से आचरण के बाध्यकारी नियम में अधिनियमित करना। वर्तमान मामले में विधायिका ने ऐसा सिद्धांत निर्धारित किया है और वह सिद्धांत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में रखरखाव या वृद्धि और उचित मूल्यों पर न्यायसंगत वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह सिद्धांत स्पष्ट है और धारा 3 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने में केंद्र सरकार को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रतिनिधिमण्डल

धारा 3 में उल्लिखित प्रकार को पहले बरकरार रखा गया था

प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप के कई निर्णयों में संविधान, रसेल बनाम। क्वीन [7 एसी 829], हॉज बनाम। क्वीन [9 एसी 117] और शैनन बनाम। निचला मुख्य भूमि डेयरी उत्पाद बोर्ड [1938 ए. सी. 708] और संविधान के लागू होने के बाद से इस चरित्र के प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली कानून अधिनियम मामले [1951 एस. सी. आर. 747] में बहुमत द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों पर इस न्यायालय के कई फैसलों में बरकरार रखा गया है। जैसा कि पहले ही बताया गया है, धाराओं की प्रस्तावना और निकाय पर्याप्त रूप से विधायी नीति तैयार करते हैं और अधिनियम का दायरा और चरित्र ऐसा है कि उस नीति के विवरण को केवल उस नीति के ढांचे के भीतर एक अधीनस्थ प्राधिकरण को सौंपकर ही तैयार किया जा सकता है। श्री उमरीगर बहुत गंभीरता से दबाव नहीं डाल सके

अधिनियम की धारा 3 की अयोग्यता का प्रश्न और यह है इसलिए इस प्रश्न पर अधिक विस्तार से विचार करना अनावश्यक है।

इसी तरह, ग्वालियर में रेयॉन सिल्क एम. एफ. जी.। (डब्ल्यूवीजी.) कं. लिमिटेड बनाम। बिक्री कर और अन्य के टैंट आयुक्त। , इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 13. शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि विधायी विकास

कार्यपालिका की शक्तियाँ [2019] 6 एस. सी. आर. का एक महत्वपूर्ण विकास है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लोगों का कल्याण। विधानमंडल द्वारा पारित अधिकांश आधुनिक सामाजिक-आर्थिक विधानों में मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं - सिद्धांत और विधायी नीति। समय कारक द्वारा लगाई गई सीमा के कारण विधानमंडल शायद ही विस्तार के मामलों में जाते हैं। अतः प्रत्यायोजित विधान के लिए प्रावधान किया गया है -

लचीलापन, लोच, अभियान और प्रयोग के लिए अवसर प्राप्त करें। एक निर्धारित क्षेत्र के भीतर अधीनस्थ कानून बनाने के लिए कार्यपालिका को सशक्त बनाने की प्रथा एक आधुनिक कल्याण की व्यावहारिक आवश्यकता और व्यावहारिक आवश्यकताओं से विकसित हुई है।

राज्य। साथ ही यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कानून बनाने की शक्ति सौंपी है -

जनता के प्रतिनिधि, ताकि उक्त शक्ति का प्रयोग न केवल जनता के नाम पर बल्कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से बोलने वाले लोगों द्वारा भी किया जा सके। विधायी प्राधिकरण के अत्यधिक प्रत्यायोजन के खिलाफ भूमिका लोगों की संप्रभुता के लिए एक आवश्यक अभिधारणा है। नियम में विचार किया गया है कि विधायी नीति के मामले में व्यक्तिगत अधिकारियों या अन्य प्राधिकरणों के विचारों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति नहीं है, चाहे वे कितने भी सक्षम हों, जैसा कि लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा के लिए। जैसा कि पी पर देखा गया है। 224 खंड का। मैं कूली की संवैधानिक सीमाएँ 8 वीं संस्करण में हूँ। :

" संवैधानिक कानून में तय की गई शर्तों में से एक यह है कि विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति उस विभाग द्वारा किसी अन्य निकाय या प्राधिकरण को नहीं दी जा सकती है। जहाँ राज्य की संप्रभु शक्ति स्थित है अधिकार , वहाँ यह रहना चाहिए; और केवल संवैधानिक एजेंसी द्वारा कानून बनाए जाने चाहिए जब तक कि संविधान स्वयं नहीं है

बदल गया। जिस शक्ति को निर्णय, ज्ञान और देशभक्ति का यह उच्च विशेषाधिकार सौंपा गया है, वह अन्य एजेंसियों को चुनकर खुद को जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकती है, जिन पर शक्ति हस्तांतरित की जाएगी, और न ही यह स्थान ले सकती है। किसी भी अन्य निकाय का निर्णय, ज्ञान और देशभक्ति उन लोगों के लिए जिनके लिए केवल लोगों ने यह विश्वास करना उचित समझा है।

संप्रभु विश्वास "।

XXX XXX IARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 15. संविधान, जैसा कि इस न्यायालय ने देवी दास गोपाल कृष्णन बनाम के मामले में कहा था। पंजाब राज्य [ए. आई. आर 1967 एस. सी. 1895: (1967) 3 एससीजे 557: (1967) 20 एस. टी. सी. 430] एक शक्ति प्रदान करता है और विधानमंडल पर कानून बनाने का कर्तव्य लगाता है। आवश्यक विधायी कार्य विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के नियम के रूप में इसका निर्माण है। जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता।

किसी अन्य एजेंसी के पक्ष में या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से प्रत्यायोजन की अनुमेय सीमाओं से परे है। यह एक अदालत के लिए है कि वह एक विवादित क़ानून के निष्पक्ष, उदार और उदार निर्माण पर रोक लगाए कि क्या विधानमंडल ने ऐसी सीमाओं को पार किया है। XXX XXX XXX

स्वयं विधायी शक्ति। यह संविधान के प्रावधानों द्वारा समर्थित नहीं था, जिसने संसद या राज्य विधानमंडलों में से किसी को भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की थी। प्रतिनिधिमण्डल की वैधता यह एक सहायक उपाय के रूप में निहित होने पर निर्भर करता है जिसे विधानमंडल अपनी विधायी शक्तियों का प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से प्रयोग करने के उद्देश्य से आवश्यक मानता है। विधायिका को आवश्यक विधायी कार्य अपने हाथों में रखना चाहिए। वास्तव में "आवश्यक विधायी कार्य" [2019] 6 एस. सी. आर.

सामान्य शब्दों में परिभाषित करना मुश्किल था, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि आवश्यक विधायी कार्य में कम से कम विधायी नीति का निर्धारण और आचरण के बाध्यकारी नियम के रूप में इसका निर्माण शामिल होना चाहिए। इस प्रकार जहां विधायिका द्वारा पारित कानून विधायी नीति की घोषणा करता है और उस मानक को निर्धारित करता है जिसे कानून के नियम में अधिनियमित किया जाता है, तो यह नियमों, विनियमों के निर्माण जैसे अधीनस्थ विधान का कार्य छोड़ सकता है या

उन कानूनों द्वारा जो अपनी प्रकृति से अधीनस्थ निकायों के लिए क़ानून के सहायक हैं। अधीनस्थ प्राधिकारी को ऐसा उस कानून के ढांचे के भीतर करना चाहिए जो प्रतिनिधि मंडल बनाता है, और इस तरह के अधीनस्थ कानून को उस कानून के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत यह बनाया गया है और कानून में निर्धारित नीति और मानक की सीमाओं से परे नहीं जा सकता है। जब तक विधायी नीति है

पर्याप्त स्पष्टता के साथ या एक मानक निर्धारित किया गया है, अदालतों को उस विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो निस्संदेह विधानमंडल के पास है

किसी विशेष मामले में आवश्यक प्रत्यायोजन [के अवलोकन देखें]

दिल्ली नगर निगम में वांचू, सी. जे. बनाम। बिड़ला

मिल्स।] . 18. हरिशंकर बागला बनाम। मध्य प्रदेश राज्य [ए. आई. आर 1954 एस. सी. 465: (1955) 1 एससीआर 380: 1954 सी. आर. आई. एल. जे. 1322] इस न्यायालय ने आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) की धारा 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा घोषित सूती वस्त्र (आवाजाही पर नियंत्रण) आदेश, 1948 के खंड 3 की वैधता पर विचार किया।

अधिनियम, 1946। विवादित खंड की वैधता को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि विधानमंडल को कानून की नीति और कानूनी सिद्धांतों की घोषणा करनी चाहिए जो किसी भी मामले को नियंत्रित करने के लिए हैं और कानून को निष्पादित करने के लिए अधिकारियों या सत्ता में निकाय का मार्गदर्शन करने के लिए एक मानक प्रदान करना चाहिए, और जहां विधानमंडल ने अधिनियम में ऐसा सिद्धांत निर्धारित किया है और वह सिद्धांत आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में रखरखाव या वृद्धि और दिए गए मूल्यों पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना है,

शक्ति का प्रयोग वैध था। "

हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक बैंकिंग विनियमन के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

वर्तमान में बैंकिंग कंपनियों से संबंधित कानून के प्रावधान IARANI SUGARS AND CHEMICALS LTD, v. पर लागू सामान्य कानून का एक सहायक भाग बनाएँ।

भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

भारतीय कंपनियों के भाग XA में शामिल कंपनियाँ

अधिनियम, 1913। ये प्रावधान, जो पहली बार 1936 में पेश किए गए थे, और जिनमें बाद में दो संशोधन किए गए हैं,

अपर्याप्त और प्रशासित करने में कठिन साबित हुआ। इसके अलावा,

स्टॉक-धारक का, बैंकिंग कानून का होना चाहिए जमाकर्ता के हितों का संरक्षण। इसलिए यह हुआ है

कुछ समय के लिए महसूस किया कि अलग कानून आवश्यक था

भारत में बैंकिंग का विनियमन। यह आवश्यकता और अधिक हो गई है।

काफी विकास के कारण जो जोर दिया है

बैंकिंग में हाल के वर्षों में हुआ, विशेष रूप से तेजी से विकास बैंकिंग संसाधनों और बैंकों और शाखाओं की संख्या।

इस तथ्य पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बैंकिंग प्रणाली है

युद्ध के बाद की अवधि के कारण अधिक असुरक्षित होने की संभावना है

महान विस्तार, दोनों मात्रात्मक और अपेक्षाकृत, है कि

समय जमा की तुलना में मांग जमा में किया गया,

युद्ध के वर्षों में। एक अलग अधिनियम व्यापक उपाय के परिणामस्वरूप अब आई. एम. बन गया है।

परजीवी "।

(जोर दिया गया)

विशेष रूप से, विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: " (i) 'बैंकिंग' की एक व्यापक परिभाषा ताकि इसे अपने दायरे में लाया जा सके।

कानून का दायरा सभी संस्थान जो जमा प्राप्त करते हैं,

उधार देने या निवेश के लिए मांग पर या अन्यथा चुकाने योग्य: XXX XXX XXX

(x) केंद्र सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाना।

बैंक अपने मामलों का संचालन इस तरह से करते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो

जमाकर्ताओं के हित;

(xi) भारतीय रिजर्व बैंक को निकट लाने का प्रावधान।

इसे बैंकिंग कंपनियों की सहायता के लिए आने में सक्षम बनाएँ आपात स्थिति;

XXX XXX "

धारा 14 ए, 17,18 और 20 बैंक पर विभिन्न प्रतिबंध लगाती हैं।

ओमपेनी। इस प्रकार, यह [2019] 6 एस. सी. आर. पर फ्लोटिंग चार्ज रखने से प्रतिबंधित है।

परिसंपत्तियाँ; इसे एक आरक्षित निधि और एक नकद आरक्षित रखना होता है; और यह अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभूति पर, या अपने निदेशकों की ओर से, या किसी भी फर्म जिसमें इसके निदेशक रुचि रखते हैं, आदि पर ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं कर सकता है। एक बैंकिंग कंपनी एक लाइसेंस रखने के लिए बाध्य है जो इसके द्वारा जारी किया जाता है

अधिनियम की धारा 22 के तहत। धारा 22 (3), विशेष रूप से, इस बारे में मार्गदर्शन देती है कि बैंकिंग कंपनी अपना व्यवसाय कैसे चलाएगी। ये और अन्य धारा 25,29,30 और 31 जैसे नियामक अनुभाग, सभी इस बारे में मार्गदर्शन देते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक नए जोड़े गए प्रावधानों के तहत इन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगा।

प्रावधान। इसलिए हम श्री द्विवेदी से सहमत हैं कि इन प्रावधानों द्वारा उन्हें सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लिए मार्गदर्शन की कोई कमी नहीं थी। नतीजतन, संवैधानिक वैधता की याचिका विफल हो जाती है।

अल्ट्रा वायरस

18. श्री द्विवेदी ने विवादित परिपथ की वैधता को बनाए रखने के लिए धारा 21,35 ए, 35 एए और 35 एबी का उल्लेख किया और उन पर भरोसा किया

लार। डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया है कि धारा 35 ए पर संभवतः इस कारण से भरोसा नहीं किया जा सकता है कि यह 1956 में पेश किया गया एक पुराना प्रावधान है। दिवाला संहिता को लागू करना है या नहीं, यह निश्चित रूप से संसद के प्रस्ताव में नहीं था जब उसने धारा 35 ए को अधिनियमित किया था, और इस कारण से, धारा 35 ए को संभवतः उस शक्ति के स्रोत के रूप में नहीं देखा जा सकता है जो भारतीय रिजर्व बैंक को विवादित परिपत्र जारी करने के लिए अधिकृत करता है। 19. डॉ. सिंघवी का तर्क एक क़ानून की "चल रही" व्याख्या के बारे में एक दिलचस्प सवाल उठाता है। आम तौर पर, कानूनों को संसद के अधिनियमों के रूप में मान्यता दी जाती है जिन्हें "हमेशा बोलने वाला" माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक बनाम। लक्ष्मीनारायण चोपड़ा, (1962)

3 एस. सी. आर. 146, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 में उल्लिखित "टेलीग्राफ लाइन" शब्द काफी व्यापक है।

डाक और तार और बेतार स्टेशनों के लिए एक उपकरण के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी तार को लेना, भले ही ऐसे तार और बेतार स्टेशन 1885 के अधिनियम के अधिनियमन के समय संसद के विचार में नहीं थे। कानूनी स्थिति इस प्रकार निर्धारित की गई थीः

कोक द्वारा निर्धारित सिद्धांत समकालीन व्याख्या को प्राचीन कानूनों के अर्थ में लागू किया गया था, लेकिन इसके लिए नहीं
उन अधिनियमों की व्याख्या करना जो तुलनात्मक रूप से आधुनिक हैं। व्याख्या के तरीके में इस बदलाव का एक अच्छा कारण है।

IARANI SUGARS AND CHEMICALS LTD. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निर्माण का मौलिक नियम एक ही है चाहे न्यायालय एक प्राचीन क़ानून या एक के प्रावधान का अर्थ लगाने के लिए कहा गया

आधुनिक एक, अर्थात्, का व्यक्त इरादा क्या है

विधायिका। एक विधायी निकाय को श्रेय देना शायद मुश्किल है।

एक स्थिर समाज में कार्य करना जिसमें इसका इरादा जोड़ा गया था

काफी चौड़ाई की शर्तें ताकि इसके स्वीप के भीतर लिया जा सके उपयोग किए गए वाक्यांशों द्वारा समझे जाने वाले भविष्य के विकास। यह.

अपने इरादे को केवल परिस्थितियों तक सीमित रखना अधिक उचित है

उस समय प्राप्त करना जब कानून बनाया गया था। लेकिन एक आधुनिक में

प्रगतिशील समाज को सीमित करना अनुचित होगा

शब्द के लिए जिम्मेदार अर्थ के लिए एक विधानमंडल का इरादा

जिस समय कानून बनाया गया था, उस समय एक आधुनिक विधानमंडल के लिए उपयोग किया गया था।

तेजी से आगे बढ़ रहे समाज को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाना आवश्यक है

एक ही अवधारणा के एक बढ़े हुए अर्थ के बारे में जागरूक होने की धारणा

समय के साथ और क्रांतिकारी के साथ आकर्षित हो सकता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में लाए गए परिवर्तन

और मानव गतिविधि के अन्य क्षेत्र। वास्तव में, जब तक कि एक विपरीत

इरादा प्रकट होता है, शब्दों की व्याख्या की जानी चाहिए

यदि शब्द सक्षम हैं तो नए तथ्यों और स्थितियों को लेने के लिए उपयोग किया जाता है

उन्हें समझने की। इसलिए हम इससे सहमत नहीं हो सकते।

उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कहा कि सिद्धांत समकालीन है

"टेलीग्राफ लाइन" शब्द के अर्थ में एक्सपोज़िशियो का उपयोग किया जा सकता है।

अधिनियम में।

उक्त कारणों से, हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति "टेलीग्राफ लाइन"

के लिए उपयोग किए जाने वाले तारों को लेने के लिए पर्याप्त रूप से व्यापक है

डाक और टेलीग्राफ वायरलेस के उपकरण का उद्देश्य

स्टेशन "।

(पीपी में। 156-157)

(जोर दिया गया)

20. इस बारे में मार्गदर्शन कि क्या कोई क़ानून नई स्थितियों पर लागू हो सकता है

जब क़ानून लागू किया गया था तो संसद का गठन लॉर्ड विल्बरफोर्स द्वारा यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एज ऑफ नर्सिंग बनाम में अपने असहमत निर्णय में किया गया था। विभाग th और सामाजिक सुरक्षा, [1981] 1 सभी ई. आर. 545 [एच. एल.] निम्नानुसार हैः

" संसद के किसी अधिनियम की व्याख्या करने में यह उचित है, और वास्तव में आवश्यक, मौजूदा मामलों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, और ज्ञात [2019] 6 एस. सी. आर.

संसद द्वारा, उस समय मौजूद होना। यह एक उचित अनुमान है।

कि संसद की नीति या इरादा उस स्थिति की ओर निर्देशित है

विचार करें कि क्या वे संसदीय इरादे के अंतर्गत आते हैं। वे. ऐसा करने के लिए आयोजित किया जा सकता है, अगर वे तथ्यों के एक ही वंश के भीतर आते हैं

जिन पर व्यक्त नीति तैयार की गई है। वे.

यदि कोई स्पष्ट उद्देश्य का पता लगाया जा सकता है तो ऐसा करने के लिए भी माना जा सकता है

उस विधान में जिसे केवल तभी पूरा किया जा सकता है जब विस्तार किया जाए बनाया गया। इन सिद्धांतों को कितनी उदारता से लागू किया जा सकता है, यह निर्भर करना चाहिए।

अधिनियम की प्रकृति पर, और सख्ती या अन्यथा

उदार या अनुमेय के बजाय इसका संचालन। वे बहुत होंगे। ऐसा करने के लिए कम इच्छुक जहां विषय वस्तु प्रकार में अलग है

या उस आयाम से जिसके लिए कानून पारित किया गया था।

(पीपी में। 564-565)

21. कॉम्डेल कमोडिटीज लिमिटेड बनाम। सिपोरेक्स ट्रेड एस. ए., [1990]

ई. आर. 552 [एच. एल.], लॉर्ड ब्रिज ने इसे इस प्रकार रखाः

जो उस समय विचार में नहीं था जब एक क़ानून था पहले अधिनियमित, कोई प्राथमिकता धारणा नहीं हो सकती है कि

अधिनियम नई परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है। अगर

अधिनियम की भाषा उन लोगों तक विस्तार करने के लिए पर्याप्त व्यापक है

परिस्थितियों में, ऐसा कोई कारण नहीं है कि इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। ”

(पी पर। 557)

22. "हमेशा बोलना" वाक्यांश को हाउस ऑफ

मैककार्टन टर्किंगटन ब्रीन (ए फर्म) बनाम। टाइम्स स्पेपर्स लिमिटेड, [2000] 4 ऑल ई. आर. 913। लार्ड स्टेन, के लिए बोल रहे हैं

टी, निम्नानुसार कहा गया हैः

" कानून के मूल इरादे के लिए अपील एक और प्रारंभिक विषय है जिस पर विचार किया जाना है। के लिए वकील

वकीलों ने इस बात पर जोर दिया कि पैराग्राफ 9 के शब्द 'अरानी सागर और रसायन लिमिटेड' हो सकते हैं।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसका पता लॉ ऑफ लिबेल अमेंडमेंट एक्ट 1888 से लगाया जा सकता है। उन्होंने देखा कि उस समय प्रेस सम्मेलनों की घटना अज्ञात थी। यह सदन को यह कहने का निमंत्रण था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस विधायिका के मूल इरादे के भीतर नहीं हो सकती थी। विक्टोरियन इतिहास की इस अपील का स्पष्ट जवाब है। जब तक वे एक विपरीत इरादे को प्रकट नहीं करते हैं, तब तक सभी कानूनों की व्याख्या "हमेशा बोलने वाले कानूनों" के रूप में की जानी चाहिए। इस सिद्धांत को आर बनाम आयरलैंड, आर बनाम बर्स्टो [1997] 4 ऑल ईआर 225 233 पर, [1998] एसी 147 158 पर कहा और समझाया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत कम से कम दो सूत्र आते हैं। पहला यह है कि अदालतों को व्याख्या करनी चाहिए

और दुनिया में एक क़ानून लागू करें जैसा कि आज मौजूद है। यह आर बनाम आयरलैंड में निर्णय का आधार है जहां एक विक्टोरियन क़ानून में 'शारीरिक नुकसान' को मनोरोग चोट को कवर करने के लिए आयोजित किया गया था। समान रूप से दूसरा हिस्सा भी महत्वपूर्ण है, अर्थात् कानून की व्याख्या कानूनी प्रणाली के आलोक में की जानी चाहिए जैसा कि आज मौजूद है। सर रूपर्ट क्रॉस के उत्कृष्ट कार्य, सांविधिक व्याख्या (तीसरा संस्करण, 1995) पीपी 51-52 में, स्थिति को निम्नानुसार समझाया गया हैः

" कुछ हद तक विचित्र कथन कि एक क़ानून "हमेशा" होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि बोलने की उत्पत्ति लॉर्ड थ्रिंग में हुई थी।

"होगा" शब्द के उपयोग के संबंध में मसौदा तैयार करने वालों को उपदेशः संसद के एक अधिनियम को हमेशा बोलने वाला माना जाना चाहिए। और इसलिए वर्तमान या भूतकाल को अपनाया जाना चाहिए, और "होगा" का उपयोग केवल एक अनिवार्यता के रूप में किया जाना चाहिए, न कि भविष्य के रूप में। लेकिन यह प्रस्ताव कि एक अधिनियम हमेशा बोल रहा है, अक्सर होता है

परिभाषित संसदीय सभा। इसका कानूनी अस्तित्व है। इसकी घोषणा की ऐतिहासिक आकस्मिकताओं से स्वतंत्र रूप से,

और तदनुसार इसके प्रकाश में व्याख्या की जानी चाहिए

वर्तमान में लागू कानूनी मानदंडों की प्रणाली के भीतर।

इस तरह का दृष्टिकोण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है

आज के सामान्य कानूनी दुभाषिया, जो शुरू करने के बजाय कानूनी ग्रंथों में सामान्य वर्तमान अर्थों को लागू करने की उम्मीद करते हैं

भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास में अनुसंधान, जब तक कि उसे विशेष रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता है कि बाद वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता है। (मेरा जोर।)

दूसरे शब्दों में, यह आम तौर पर अनुमत है और वास्तव में आवश्यक है

विवाद में वैधानिक प्रावधान के स्थान को ध्यान में रखें

कानूनी प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों के व्यापक संदर्भ में यह विकसित हुआ है। यदि यह प्रस्ताव सही है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो यह

सदन के समक्ष कानून के आलोक में विचार किया जाना चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आज भी मौजूद है। मूल के लिए अपील

कानून के शब्दों के अर्थ को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

(पीपी में। 926-927)

(जोर दिया गया)

23. कानून की इस व्याख्या को फैसले के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

बर्मिंघम सिटी काउंसिल बनाम। ओकले, [2001] 1 ऑल ई. आर. 385 जहाँ लॉर्ड हॉफमैन ने इस प्रकार आगाह कियाः

" श्री सपरस्टोन ने तर्क दिया कि धारा 79 (1) (ए) का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

आधुनिक परिस्थितियों के आलोक में। जब यह एक 'राज्य' की बात करता है।

स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ', इसका मतलब ऐसा राज्य नहीं है जो

1846 में ऐसा माना गया है। इसके लिए मॉड के अनुप्रयोग की आवश्यकता होती है स्वच्छताक ज्ञान आ मानक। शब्द होने चाहिए

लॉर्ड स्टेन द्वारा उपयोग किए गए अर्थ में 'हमेशा बोलने' के रूप में माना जाता है

आर बनाम आयरलैंड में, आर बनाम बर्स्टो [1997] 4 ऑल ईआर 225 233 पर, [1998]

158-159 पर AC 147। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जब कोई क़ानून एक

अवधारणा जो ज्ञान के बढ़ने के साथ सामग्री में बदल सकती है, प्रौद्योगिकी या सामाजिक मानकों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि

वर्तमान में समझा जाए। सामग्री बदल सकती है लेकिन कॉन

सी. पी. टी. वही रहता है। वैधानिक भाषा का अर्थ

अपरिवर्तित रहता है। इसलिए एक वाहन की अवधारणा का एक ही मतलब है।

आज के रूप में यह 1800 में किया था, भले ही यह के तरीके शामिल हैं

(1 विल एंड मैरी, सेस्स 2, सी 2) ने 'क्रूरता और क्रूरता' को लागू करने से मना किया। असामान्य दंड '(धारा 10)। लेकिन सामाजिक परिवर्तन

मानकों का अर्थ है कि ऐसे दंड जिन्हें फिर से नहीं दिया गया होगा

1688 में क्रूर घोषित किए जाने को आज भी ऐसा ही माना जाएगा।

हालाँकि इस सिद्धांत का मतलब यह नहीं है कि कोई इसका अर्थ लगा सकता है

एक पुराने क़ानून की भाषा का अर्थ कुछ वैचारिक रूप से IARANI Sugars and Chemicals Ltd है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

समकालीन साक्ष्य से जो पता चलता है कि संसद का इरादा होना चाहिए, वह उससे अलग है। इसलिए, उदाहरण के लिए, गुड्स बनाम ईस्ट ससेक्स काउंटी काउंसिल [2000] 3 ऑल ईआर 603, [2000] 1 डब्ल्यूएलआर 1356 के हालिया मामले में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने फैसला किया कि

राजमार्ग के 'रखरखाव' के लिए राजमार्ग अधिकारियों के वैधानिक कर्तव्य में बर्फ और बर्फ को हटाना शामिल नहीं था। यद्यपि 'रखरखाव' शब्द बर्फ और बर्फ को हटाने में सक्षम था और आधुनिक सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा इस तरह के हटाने की उम्मीद की जा सकती है, समकालीन साक्ष्य से पता चला है कि रखरखाव की अवधारणा

कानून में सड़क के कपड़े को मरम्मत में रखने तक सीमित था। बर्फ और बर्फ को हटाने की आवश्यकता के लिए उस अवधारणा को आधुनिक मानकों (जैसे कि

बजरी के बजाय एक धातु की सतह की आवश्यकता होती है) लेकिन पार्लिया के इरादे की तुलना में एक व्यापक अवधारणा को व्यक्त करने के लिए 'बनाए रखें' शब्द का उपयोग किया जाएगा। इस तरह का परिवर्तन क़ानून के अर्थ के अनुसार नहीं होगा। इसी तरह मुझे इस मामले में ऐसा लगता है कि 'ऐसे राज्य में परिसर जो स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल हो' की अवधारणा का सुविधाओं के अभाव तक विस्तार, वैधानिक अर्थ का एक अवैध विस्तार है।

मेरे स्वामी, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के विस्तार के प्रलोभन का विरोध उन्हीं कारणों से किया जाना चाहिए जैसे कि

आपके लॉर्डशिप्स इन साउथवार्क लंदन बरो काउंसिल बनाम मिल्स [1999] 4 ऑल ईआर 449, [1999] 3 डब्ल्यूएलआर 939 ने उपद्रव और शांत आनंद के सामान्य कानून का विस्तार करने से इनकार कर दिया ताकि मकान मालिकों को ध्वनिरोधी स्थापित करने की आवश्यकता हो। संसद ने विभिन्न वर्गों में और आमतौर पर विभिन्न अधिनियमों में शौचालय सुविधा प्रदान करने के दायित्व पर स्पष्ट रूप से विचार किया है। 1991 तक नए निर्माणों में भी शौचालय में बेसिन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसने मौजूदा इमारतों के संबंध में ऐसा कभी नहीं किया है। अदालतों के लिए धारा 79 (1) (ए) को एक विस्तारित "आधुनिक" अर्थ देना, जिसके लिए मौजूदा घरों में उपयुक्त परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता होती है, सार्वजनिक और निजी मालिकों और कब्जाधारियों पर पर्याप्त वित्तीय बोझ डालेगा। मैं पूरी तरह से 1990 के अधिनियम को एक विवेकपूर्ण आधुनिक व्याख्या देने के पक्ष में हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह या तो समझदारी है या लोकतंत्र की आधुनिक धारणाओं के अनुरूप है।

यह मानते हुए कि जब संसद ने 19 वीं शताब्दी की भाषा को फिर से अधिनियमित किया, तो उसने अदालतों को स्थानीय [2019] 6 एस. सी. आर. को लागू करने के लिए अधिकृत किया।

अधिकारियों और अन्य को पूंजीगत व्यय का भारी बोझ

जिसे वैधानिक भाषा को कभी लागू करने के लिए नहीं माना गया था। मुझमें

इस निर्णय पर राय दें कि ऐसा कदम उठाना चाहिए या नहीं जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाना चाहिए न कि

अदालतें "।

(पीपी में। 396-397)

24. धारा 35 ए के सरसरी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि

उपरोक्त प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करता हो कि जब दिवाला संहिता की बात आती है, तो निर्देश देने की भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति इस प्रकार नहीं दी जा सकती है। प्रावधान में उपयोग की गई भाषा की चौड़ाई जो केवल 'जनहित' और 'बैंकिंग नीति' आदि जैसे सामान्य शब्दों का उपयोग करती है, यह स्पष्ट करती है कि यदि अन्यथा उपलब्ध हो, तो हम विवादित भारतीय रिजर्व बैंक के लिए शक्ति के स्रोत के रूप में धारा 35 ए के उपयोग पर रोक नहीं लगा सकते हैं।

इस आधार पर परिपत्र कि दिवाला संहिता, 2016 को 1956 में संसद के विचार में नहीं कहा जा सकता था, जब धारा 35 ए लागू की गई थी। इसलिए डॉ. सिंघवी का तर्क विफल होना चाहिए।

25. डॉ. सिंघवी ने तब भारतीय बैंकों के फैसले पर भरोसा किया।

एसोसिएशन (ऊपर)। इस मामले में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की शक्ति को एक अलग और विशिष्ट अधिनियम, अर्थात् ब्याज कर अधिनियम, 1974 के तहत बैंकों को मंजूरी देने तक विस्तारित नहीं किया गया था। इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहाः

" 37. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुत करना प्रभाव कि उन्हें दर बढ़ाने की अनुमति दी गई थी

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज, समान रूप से गलत है।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम और कोई अन्य कानून नहीं।

38. बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35-ए

धारा 35-ए के तहत निर्दिष्ट और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। द. इस प्रभाव के लिए अपीलार्थियों का विवाद कि ब्याज की दर थी

के अनुसार या आगे बढ़ाने में उनके द्वारा बढ़ाया गया था

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देशों को धारा सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड माना जाना चाहिए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

XXX XXX XXX

" 40. मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांकित 2-9-1991 पत्र में निहित कथित निर्देश उक्त अधिनियम के तहत कार्यकारी निर्देश की प्रकृति में भी नहीं हैं। यह बैंकों पर बाध्यकारी नहीं था, उधारकर्ताओं पर बहुत कम था। किसी भी स्थिति में, क़ानून के गलत और गलत निर्माण के कारण, किसी तीसरे पक्ष को नुकसान नहीं हो सकता है।

41. इसके अलावा, अनुच्छेद 366 (28) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 265 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उधारकर्ता से कर की अधिक राशि और इसके परिणामस्वरूप ब्याज की अधिक राशि की कथित मांग -

कर से। 42. इसलिए, हमारी राय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई कथित मंजूरी पूरी तरह से बिना मंजूरी के दी गई थी

अधिकारिता और उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

इस फैसले के आधार पर डॉ. सिंघवी ने तर्क दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक संभवतः निर्देश नहीं दे सकता है कि बैंकों को अपने नियमों का उपयोग कैसे करना चाहिए।

दिवाला संहिता की धारा 7 के तहत आवेदन दायर करने से पहले विवेकाधीन शक्ति। हालाँकि, श्री द्विवेदी ने इस फैसले को यह कहते हुए अलग किया कि यह एक कर मामला था और यह याद रखना चाहिए कि सातवीं अनुसूची में प्रविष्टियाँ सामान्य से अलग हैं। प्रविष्टियाँ। अन्यथा भी, श्री द्विवेदी के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश दिवाला संहिता के प्रावधानों को लागू करने से पहले के स्तर पर हैं, जिसके परिणामस्वरूप, इस फैसले का कोई उपयोग नहीं होगा।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. हमारा मानना है कि श्री द्विवेदी सही हैं। यदि बैंकिंग विनियमन अधिनियम का एक विशिष्ट प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों को दिवाला संहिता के तहत आगे बढ़ने का निर्देश देने की एक विशिष्ट शक्ति है

कुछ निर्दिष्ट परिस्थितियों में देनदारों के खिलाफ, यह नहीं कहा जा सकता है कि वे उन कानूनों के चारों कोनों के बाहर काम करेंगे जो उन्हें लागू करते हैं, अर्थात्, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम और बैंकिंग विनियमन अधिनियम। अतः इस संबंध में डॉ. सिंघवी का तर्क विफल होना चाहिए।

27. श्री द्विवेदी ने कुछ निर्णयों का हवाला देते हुए कहा है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को दी गई विभिन्न शक्तियां सामान्य हैं विशेष रूप से, धारा 35 ए के तहत, व्यापक और व्यापक हैं, और इस न्यायालय द्वारा विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है। उन्होंने विशेष रूप से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम पर भरोसा किया। रवींद्र, (2002) 1 एस. सी. सी. 367। विशेष रूप से, उन्होंने पैराग्राफ 51 और पैराग्राफ 55 (5) पर भरोसा किया जिसमें कहा गया हैः

" 51. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 रिजर्व बैंक को यह संतुष्ट करने का अधिकार देता है कि यह आवश्यक या समीचीन है।

विशेष रूप से और जब नीति इस तरह से निर्धारित की गई है तो यह है बाध्यकारी प्रभाव। विशेष रूप से, भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज की दर और अन्य नियमों और शर्तों के बारे में निर्देश दे सकता है जिन पर अग्रिम या अन्य वित्तीय समायोजन हो सकता है।

बनाया गया। इस तरह के निर्देश प्रत्येक बैंकिंग कंपनी के लिए भी बाध्यकारी हैं।

धारा 35-ए भारतीय रिजर्व बैंक को जनहित में या बैंकिंग नीति के हित में या जमाकर्ताओं (और इसी तरह) के हित में आम तौर पर या विशेष रूप से निर्देश जारी करने का भी अधिकार देती है जो बाध्यकारी होंगे। 15-2-1984 धारा 21-ए के प्रभाव से अधिनियम में धारा 21-ए डाली गई है जो किसी बैंकिंग कंपनी और उसके देनदार के बीच लेनदेन को इस आधार पर फिर से खोलने की अदालत की शक्ति को छीन लेती है कि ब्याज की दर अत्यधिक है। इस प्रावधान को ब्याज ऋण अधिनियम, 1918 और इससे संबंधित किसी भी अन्य प्रांतीय कानून पर एक प्रमुख प्रभाव दिया गया है -

XXX XXX XXX

55. सुनवाई के दौरान यह हमारे संज्ञान में लाया गया कि आई. ए. आर. ए. एन. आई. सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड में लागू कई ब्याज कानूनों और ऋण राहत कानूनों को देखते हुए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कई राज्यों का निजी ऋण लगभग समाप्त हो गया है और जरूरतमंद उधारकर्ता वित्तीय सुविधाओं के लिए बड़े पैमाने पर बैंकिंग संस्थानों पर निर्भर हैं। कई अस्वास्थ्यकर प्रथाएँ धीरे-धीरे

व्यापकता में प्रवेश को इंगित किया गया था। बैंकिंग एक संगठित संस्थान है और अधिकांश बैंक लंबे समय से चल रहे दस्तावेजों को काम में लगाते हैं, जिसमें उधारकर्ता रिक्त स्थान को भरते हैं, कभी-कभी उसमें जो प्रदान किया गया है उसे पढ़ने की परवाह किए बिना, और सर्वश्रेष्ठ कानूनी दिमाग द्वारा व्यक्त की गई शर्तों से खुद को बांधते हैं। निगम से संबंधित उधारकर्ताओं के अलावा अन्य उधारकर्ता

जिसका अंत विनाशकारी साबित हो सकता है। कभी-कभी प्रभारित और पूंजीकृत ब्याज वास्तव में राशि से कई गुना अधिक होता है। उन्नत। दमदुपत का नियम लागू नहीं होता है। दंडात्मक ब्याज, सेवा शुल्क और अन्य अधिभार के खाते में डेबिट किए जाते हैं।

उधारकर्ता और जिसका पूँजीगत ऋण उधारकर्ता नहीं ले सकता है

जागरूक भी रहें। यदि तिमाही विश्राम पर ब्याज वसूलने की प्रथा को बरकरार रखा जाता है और न्यायिक मान्यता दी जाती है, तो बेईमान बैंक मासिक विश्राम पर भी ब्याज वसूलने का सहारा ले सकते हैं और

उसी को पूंजीकृत करें। बैंकों द्वारा उधारकर्ताओं को कई बार प्रदान किए गए खातों के विवरणों में डेबिट प्रविष्टियों का विवरण या विवरण नहीं होता है और जब हाथ में लिखा जाता है तो वे उधारकर्ताओं की आंखों और बुद्धि की परीक्षा करने वाले चिकित्सा निर्देशों से भी बदतर होते हैं।

उचित मामलों में जब वास्तव में निर्णय के लिए उत्पन्न होता है और हम ऐसे मुद्दों पर कानून बनाने का साहस नहीं कर सकते जो हमारे सामने निर्धारण के लिए उत्पन्न नहीं होते हैं। हालाँकि, हम रखने का प्रस्ताव करते हैं

कुछ आनुषंगिक टिप्पणियों को दर्ज करते हुए, जिनके बिना, हम महसूस करते हैं, हमारा उत्तर पूर्ण नहीं होगा और हम निम्नानुसार करते हैंः

XXX XXX XXX

(5) धारा 21 और 35-ए द्वारा प्रदत्त शक्ति

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 कार्य करने के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का प्रमुख बैंकिंग संस्थान है जिसे बैंकिंग और बैंकिंग पर पर्यवेक्षी भूमिका सौंपी गई है।

सामान्य जनता के हित में वैधानिक बल के साथ बाध्यकारी निर्देश जारी करने का अधिकार और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बैंकिंग मामलों को बिगड़ने और पूर्वाग्रह से रोकने के साथ-साथ आम तौर पर किसी भी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक देश के वित्त और अर्थव्यवस्था के निगरानीकर्ताओं में से एक है। यह ऋण की शर्तों सहित सभी प्रासंगिक कारकों के बारे में जागरूक है और होना चाहिए।

प्रचलित, जो इसके नीतिगत निर्णयों को आमंत्रित करेगा। रिजर्व बैंक ने दी जानकारी

समय-समय पर निर्देश/परिपत्र जारी किए जा रहे हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ ब्याज की उस दर से संबंधित हैं जो ली जा सकती है और जिसके अंत में शेष अवधि को कम किया जा सकता है, उस पर ब्याज की गणना की जा सकती है और शुल्क लिया जा सकता है और पूंजीकृत किया जा सकता है। इसे इस तरह के निर्देश जारी करते रहना चाहिए। इसके परिपत्र उन लोगों को बाध्य करेंगे जो इस तरह के निर्देशों के दायरे में आते हैं। ऐसे लेन-देन के लिए जो इस तरह के परिपत्रों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए मानकों के रूप में माना जा सकता हैः

यह तय करना कि क्या लगाया गया ब्याज अत्यधिक है, सूदखोर है या सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

इसी तरह, सुधीर शांतिलाल मेहता बनाम। केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन

गेशन, (2009) 8 एस. सी. सी. 1, उन्होंने अनुच्छेद 51 और 52 पर भरोसा किया जो

इस प्रकार हैः

" 51. 1949 के अधिनियम की धारा 35-ए के संदर्भ में, भारतीय रिजर्व बैंक को सार्वजनिक हित में या बैंकिंग नीति के हित में या किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से या बैंकिंग कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए या आम तौर पर किसी भी बैंकिंग कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए बैंकों को निर्देश जारी करने का अधिकार है। 52. भारतीय रिजर्व बैंक को 1949 के अधिनियम की धारा 21 के संदर्भ में बैंकिंग कंपनियों द्वारा अग्रिमों को नियंत्रित करने का अधिकार है और वह इस संबंध में आवश्यक निर्देशों का मुकदमा करता है। भारतीय रिजर्व बैंक,

इसलिए, विनिमय बिलों की छूट और पुनः बिक्री के संबंध में बैंकों को निर्देश जारी करने की आवश्यक शक्ति है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए उन निर्देशों को वैधानिक बल प्राप्त है और इस प्रकार, इसे लागू कानून कहा जा सकता है। (कॉर्पो राशन बैंक बनाम भी देखें। डी. एस. गौड़ा [(1994) 5 एस. सी. सी. 212] और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम। रवींद्र [(2002) 1 एस. सी. सी. 367]। सभी सार्वजनिक सेक

टोर बैंक इससे बंधे होते हैं। IARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इसके अलावा, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम। एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (2010)

सी. सी. 1, यह न्यायालय, जब यह आया कि क्या व्युत्पन्न एक हो सकता है

धारा 21 के संबंध में कहा गया है कि बैंक क्या कर सकते हैं और

आर. बी. आई. अधिनियम इस प्रकार हैः

" 35. धारा 21 अग्रिमों को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्ति से संबंधित है।

बैंकिंग कंपनियों द्वारा। धारा 21 आर. बी. आई. को नीतियां बनाने का अधिकार देती है।

बैंकिंग कंपनियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में। यह. आगे कहा गया है कि एक बार ऐसी नीति बन जाने के बाद सभी बैंकिंग कंपनियां

उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य होंगे। धारा 21 (1) एक बार फिर सामान्य है।

आर. बी. आई. को नीति निर्धारित करने के लिए सशक्त बनाने का प्रावधान

जबकि धारा 21 (2) भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्देश देने का अधिकार देती है।

बैंकिंग कंपनियों को वहां उल्लिखित वस्तुओं के बारे में, अर्थात अनुभाग में

21 (2) . धारा 21 (3) के तहत प्रत्येक बैंकिंग कंपनी दंड के खतरे पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

गैर-अनुपालन के लिए लगाया जाता है। धारा 35-ए में कहा गया है कि जहां भारतीय रिज़र्व बैंक है

संतुष्ट है कि बैंकिंग नीति के हित में यह आवश्यक है कि

बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करें कि वे समय-समय पर ऐसा कर सकती हैं। समय और बैंकिंग कंपनियाँ इसका पालन करने के लिए बाध्य होंगी

ऐसी दिशाएँ। इस प्रकार, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

उक्त अधिनियम की धारा 21 और 35-ए, भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश जारी कर सकता है।

कानून का वैधानिक बल होना। धारा 36 अतिरिक्त शक्तियों से संबंधित है। और आर. बी. आई. के कार्य। धारा 39 के तहत यह आर. बी. आई. है जो

समापन से संबंधित किसी भी कार्यवाही में आधिकारिक परिसमापक

एक बैंकिंग कंपनी "।

XXX XXX XXX

" 38. बी. आर. अधिनियम, 1949 मूल रूप से बैंकिंग को विनियमित करना चाहता है।

व्यवसाय। हाथ में मामलों में हम चिंतित नहीं हैं

बैंकिंग की परिभाषा लेकिन "बैंकिंग व्यवसाय" के साथ। अतः उक्त बी. आर. अधिनियम, 1949 एक मुक्त अधिनियम है। यह आर. बी. आई. (नियामक और नीति निर्माता) को अग्रिम और पूंजी के मामले में अधिकार देता है।

पर्याप्तता मानदंड) एक स्वस्थ द्वितीयक बाजार विकसित करने के लिए,

एन. पी. ए. को साफ करने के लिए बैंकों को एन. पी. ए. में सौदा करने की अनुमति देना

बैंकों की बैलेंस शीट जो दिशानिर्देश/नीति के अंतर्गत आती हैं

धारा 6 (1) (ए) को धारा 6 (1) (एन) के साथ पढ़ा जाता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है।

कहा कि ऋणों/एन. पी. ए. का आवंटन एक अनुमत गतिविधि नहीं है।

बी. आर. अधिनियम, 1949 के तहत। इस प्रकार, जमा स्वीकार करना और [2019] 6 एस. सी. आर. द्वारा ऋण देना।

अपने आप में "बैंकिंग व्यवसाय" का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बैंकिंग पर वाणिज्य की निर्भरता इतनी अधिक है कि आधुनिक मुद्रा अर्थव्यवस्था में बैंकिंग एक दिन के लिए भी बंद हो जाती है।

गतिविधियाँ राष्ट्र के आर्थिक जीवन को पूरी तरह से पंगु बना देंगी। इस प्रकार, बी. आर. अधिनियम, 1949 भारत में बैंकिंग विनियमन और पर्यवेक्षण की एक वैधानिक व्यापक और औपचारिक संरचना को अनिवार्य करता है।

29. धारा 35 एए यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग कंपनियों को दिवाला संहिता के प्रावधानों के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत कर सकती है। द. ध्यान देने वाली पहली बात यह है कि इस तरह के प्राधिकरण के बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम में कई धाराएँ हैं जो केंद्र सरकार की शक्तियों और भारतीय रिज़र्व बैंक की शक्तियों की गणना करती हैं। इस प्रकार, धारा 36 ए. सी. ए. (1) निम्नलिखित रूप में प्रदान करती हैः

" 36 एसीए। कुछ मामलों में निदेशक मंडल का अधिवेतन

मामले। (1) जहां रिजर्व बैंक केंद्र सरकार के परामर्श से संतुष्ट है कि जनहित में या किसी भी बैंकिंग कंपनी के मामलों को जमाकर्ताओं या किसी अन्य के हित के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए।

बैंकिंग कंपनी या किसी भी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुरक्षित करने के लिए बैंकिंग कंपनी, ऐसा करने के लिए आवश्यक है, रिजर्व बैंक, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, आदेश द्वारा, ऐसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल को एक अवधि के लिए हटा सकता है

छह महीने से अधिक जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाएः

(अरानी सागर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बशर्ते कि निदेशक मंडल के अधिक्रमण की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है, ताकि कुल

अवधि बारह महीने से अधिक नहीं होगी।

XXX XXX "

यह खंड यह स्पष्ट करता है कि बैंकिंग कंपनियों के निदेशक मंडल में भारतीय रिज़र्व बैंक की संतुष्टि केवल केंद्र सरकार के परामर्श से ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। वस्तुतः, धारा 36 ए. ई. और 36 ए. एफ. के तहत, केंद्र सरकार अकेले ही भारतीय रिजर्व बैंक से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुछ बैंकिंग कंपनियों के उपक्रमों का अधिग्रहण करने की शक्ति रखती है। धारा 36 ए. ई. (1) इस प्रकार है -वीएसः

" 36 ए. ई. अधिग्रहण करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति

कुछ मामलों में बैंकिंग कंपनियों के उपक्रम। (1)

यदि, रिजर्व बैंक से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्रीय

सरकार संतुष्ट है कि एक बैंकिंग कंपनी

(क) एक से अधिक अवसरों पर, धारा 21 या धारा 35 क के तहत लिखित रूप में दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है, जहां तक कि ऐसे निर्देश बैंकिंग नीति से संबंधित हैं, या

(ख) हितों के लिए हानिकारक तरीके से प्रबंधित किया जा रहा है

इसके जमाकर्ताओं के बारे में -

((ख) बैंकिंग नीति के हित में, या ((iii) सामान्य रूप से ऋण के बेहतर प्रावधान के लिए या किसी को भी ऋण के लिए

ऐसी बैंकिंग कंपनी के उपक्रम का अधिग्रहण करना आवश्यक है, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक के साथ इस तरह के परामर्श के बाद, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी का उपक्रम (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

अर्जित बैंक) ऐसी तारीख से प्रभावी जो केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट की जाए (जिसे इसके बाद नियत दिन के रूप में संदर्भित किया गया है):

बशर्ते कि किसी भी बैंकिंग कंपनी का कोई भी उपक्रम

इस प्रकार अधिग्रहित किया जाए जब तक कि ऐसी बैंकिंग कंपनी को एक नहीं दिया गया हो

प्रस्तावित के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर

कार्रवाई।

स्पष्टीकरण। इस भाग में,

(क) "अधिसूचित आदेश" का अर्थ है आधिकारिक में प्रकाशित आदेश।

राजपत्र;

((ख) भारत के बाहर निगमित किसी बैंकिंग कंपनी के संबंध में "उपक्रम" से भारत में कंपनी का उपक्रम अभिप्रेत है।

[X XXX XXX "

इसी तरह, धारा 36 ए. एफ. के तहत, केंद्र सरकार,

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिणामस्वरूप, बैंकिंग कंपनियों के ऐसे उपक्रमों के निर्माण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक योजना बनाएँ। धारा 36 ए. एफ. (1)

इस प्रकार हैः

किसी भी अधिग्रहित बैंक के संबंध में इस भाग की मुद्राएँ। XXX XXX "

धारा 45 वाई के तहत, केंद्र सरकार परामर्श के बाद कर सकती है

बी. आई. अभिलेखों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हैः

" 45 वाई. केंद्र सरकार के लिए नियम बनाने की शक्ति अभिलेखों का संरक्षण। केंद्र सरकार, इसके बाद

रिजर्व बैंक के साथ परामर्श और अधिसूचना द्वारा

आधिकारिक राजपत्र, उन अवधियों को निर्दिष्ट करते हुए नियम बनाता है जिनके लिए -

(क) एक बैंकिंग कंपनी अपनी पुस्तकों, खातों को संरक्षित करेगी और

अन्य दस्तावेज़; और

(ख) एक बैंकिंग कंपनी अपना संरक्षण करेगी और अपने पास रखेगी।

इसके द्वारा भुगतान किए गए विभिन्न साधन "।

धारा 52 (1) के तहत, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ वाणिज्य दूत के बाद, इसके प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए नियम बना सकती है।

एस निम्नलिखित हैः

" 52. केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। (1) द.

केंद्र सरकार, रिजर्व धारानी शुगर एंड केमिकल्स लिमिटेड के साथ परामर्श के बाद कर सकती है।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बैंक, उन सभी मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए नियम बनाता है जिनके लिए प्रावधान को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन है

इस अधिनियम के प्रावधानों और ऐसे सभी नियमों में प्रकाशित किया जाएगा

आधिकारिक राजपत्र।

XXX XXX "

महत्वपूर्ण रूप से, केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक की सिफारिश पर, घोषणा कर सकती है कि बैंकिंग के सभी या किसी भी प्रावधान

विनियमन अधिनियम किसी भी बैंकिंग कंपनी पर आम तौर पर या निर्धारित अवधि के लिए लागू नहीं होगा। अधिनियम की धारा 53 (1) इस प्रकार हैः

" 53. कुछ मामलों में छूट देने की शक्ति। - (1) द सेंट्रल

सरकार, रिजर्व बैंक की सिफारिश पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा कर सकती है कि इस अधिनियम के कोई भी या सभी प्रावधान किसी भी बैंकिंग कंपनी पर लागू नहीं होंगे।

या संस्था या बैंकिंग कंपनियों के किसी भी वर्ग के लिए आम तौर पर

या ऐसी अवधि के लिए जो निर्दिष्ट की जाए।

XXX XXX "

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति भी केंद्र में निहित है।

अधिनियम की धारा 55 ए के तहत सरकार, जो इस प्रकार हैः

" 55 ए. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है

इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, केंद्रीय

सरकार, आदेश द्वारा, अवसर की आवश्यकता के अनुसार, कुछ भी (इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं) कर सकती है जो उसे प्रतीत होता है -

कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक होगाः

बशर्ते कि बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 1968 की धारा 20 के प्रारंभ से तीन साल की अवधि समाप्त होने के बाद ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ”

इन सभी प्रावधानों के संदर्भ से पता चलता है कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि केंद्र सरकार को या तो इसका प्रयोग करना है

आर. बी. आई. के साथ या स्वयं द्वारा शक्तियाँ। इसलिए, धारा 35 एए द्वारा दी गई भूमिका, जब दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रो सेस शुरू करने की बात आती है, तो महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार के प्राधिकरण के बिना, जाहिर है, ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है।

30. इसका परिणाम यह है कि धारा 35 एए के अधिनियमन से पहले, यह कहना संभव हो सकता है कि जब भारतीय रिज़र्व बैंक (2019) 6 एस. सी. आर. की बात आती है।

दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करते हुए, वह धारा 21 और 35 ए के तहत ऐसे निर्देश जारी कर सकती थी। लेकिन धारा 35 एए के बाद, यह केवल ऐसा कर सकता है धारा 35 एए के चार कोनों के भीतर।

31. इस मामले को थोड़े अलग कोण से देखा जा सकता है। अगर

एक कानून एक विशेष कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है और निर्धारित किया है

जिस विधि में उस शक्ति का प्रयोग किया जाना है, वह आवश्यक रूप से उस कार्य के अलावा किसी अन्य तरीके से करने को प्रतिबंधित करता है जो किया गया है।

निर्धारित किया गया। यह टेलर बनाम में प्रसिद्ध नियम है। टेलर, [1875] 1 Ch. डी. 426, जिसका इस न्यायालय द्वारा बार-बार पालन किया गया है। इस प्रकार, यू. पी. राज्य बनाम. सिंघारा सिंह (1964) 4 एस. सी. आर. 485, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" टेलर बनाम में अपनाया गया नियम। टेलर [(1875) 1 Ch D 426,431] है

अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त है और ध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। इसका परिणाम यह है कि

कि यदि किसी कानून ने कोई कार्य करने की शक्ति प्रदान की है और निर्धारित किया है

जाँच के अभिलेख में एक स्वीकारोक्ति होती है सिवाय निर्धारित तरीके के धारा 164 में नीचे। स्वीकारोक्ति दर्ज करने की शक्ति थी

स्पष्ट रूप से दिया गया था ताकि स्वीकारोक्ति द्वारा साबित किया जा सके

इसका अभिलेख निर्धारित तरीके से बनाया गया है। यदि इसका प्रमाण

अन्य माध्यमों से स्वीकारोक्ति की अनुमति थी, पूरा प्रावधान धारा 164 के लिए इसमें निहित सुरक्षा उपायों सहित

अभियुक्त व्यक्तियों की सुरक्षा को निरर्थक बना दिया जाएगा। द.

धारा, इसलिए, मजिस्ट्रेट को अभिलेख करने की शक्ति प्रदान करके

मजिस्ट्रेट द्वारा बयानों का मौखिक साक्ष्य देने से या उसके सामने किए गए इकबालिया बयान "।

(पीपी में। 490-491)

इस सिद्धांत का पालन करते हुए, इसलिए, यह स्पष्ट है कि RBI केवल कर सकता है

बैंकिंग संस्थानों को दिवाला संहिता के तहत आगे बढ़ने का निर्देश देना, यदि दो पूर्ववर्ती शर्तें निर्दिष्ट हैं, अर्थात् (i) ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार का अधिकार है; और (ii) यह कि यह धारा सागर और रसायन लिमिटेड के संबंध में होना चाहिए।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

विशिष्ट डिफ़ॉल्ट। इसलिए, धारा, आवश्यक निहितार्थ से, इस शक्ति का उपयोग धारा 35 एए में निर्धारित तरीके के अलावा किसी भी तरह से करने से रोकती है। 32. श्री द्विवेदी ने तब वित्त मंत्री के भाषण पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि धारा 35 एए को वास्तव में बहुत सावधानी के साथ लागू किया गया था क्योंकि इस बात पर संदेह था कि क्या इस तरह की शक्ति का प्रयोग आम तौर पर या अन्यथा किया जा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के भाषण में निम्नलिखित बयान पर भरोसा किया, जब उन्होंने विधेयक पेश किया, जिसमें धारा 35 एए और 35 एबी को शामिल किया गया।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम। वित्त मंत्री ने कहाः

" इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। दो विचार थे कि सामान्य शक्ति में यह शक्ति शामिल नहीं हो सकती है। एक दृष्टिकोण ठीक वही था जो आप कह रहे हैं। दूसरा दृष्टिकोण यह था। यह एक बहुत छोटा संशोधन है। इसलिए, किसी भी विवाद को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों के संघ को आई. बी. सी. स्थानांतरित करने का निर्देश देगा।

दिवाला याचिका "।

33. एक वित्त मंत्री का भाषण, कुछ प्रावधानों को प्रस्तुत करते हुए,

निश्चित रूप से ऐसे प्रावधानों पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं, विशेष रूप से अस्पष्टता के मामलों में। वर्तमान मामले में, जो बात छूट गई है वह यह है कि दो धारा 35 एए में पूर्ववर्ती शर्तें पेश की गई हैं, जिनके बिना, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यह स्वयं दर्शाता है कि यह कहना संभव नहीं है कि धारा 35 एए को बहुतायत से लागू किया गया है। इसके अलावा, यह अच्छी तरह से तय है कि संसद वहां कानून नहीं बनाती है जहां किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार, उत्कल ठेकेदार और जॉइनरी (पी) लिमिटेड v. उड़ीसा राज्य, (1987) 3 एस. सी. सी. 279, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 9. विद्वान वकील की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने और अधिनियम और उसके प्रावधानों के क्षेत्र और विषय-वस्तु को परिभाषित करने और उसका अर्थ लगाने के लिए, कुछ सामान्य बनाना आवश्यक है।

विधियों की व्याख्या के संबंध में अवलोकन। कानून को सबसे अच्छी तरह से तब समझा जा सकता है जब हम इसका कारण जानते हों। एक क़ानून का कारण इसकी व्याख्या के लिए सबसे सुरक्षित मार्गदर्शक है। कानून के शब्द इसके कारण से अपना रंग लेते हैं। हम कानून के कारण का पता कैसे लगा सकते हैं? बाहरी और आंतरिक सहायक हैं। बाहरी सहायकों में वस्तुओं और कारणों का विवरण शामिल है जब

विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, समितियों की रिपोर्ट जो [2019] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विधेयक और संसदीय समितियों की रिपोर्ट से पहले।

संसद की बहसों में कभी-कभी भ्रमण होते हैं -

अनुमति दी गई। आंतरिक सहायताएं अधिनियम की प्रस्तावना, योजना और प्रावधान हैं। कानून के कारण का पता लगाने के बाद और इसलिए पाल को हवा में सेट करने के बाद, दुभाषिया आगे बढ़ सकता है। कानून में किसी भी प्रावधान और कानून के किसी भी शब्द को अलग से नहीं समझा जा सकता है। किसी भी प्रावधान या शब्द को समझने का प्रयास करने से पहले प्रत्येक प्रावधान और प्रत्येक शब्द को आम तौर पर देखा जाना चाहिए। सेटिंग और पैटर्न महत्वपूर्ण हैं। यह है।

यह फिर से याद रखना महत्वपूर्ण है कि संसद अनावश्यक रूप से अपनी सांसें बर्बाद नहीं करती है। जिस तरह संसद से इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं है

अनावश्यक अभिव्यक्तियाँ, संसद से भी अपेक्षा नहीं की जाती है अनावश्यक रूप से खुद को व्यक्त करें। भले ही संसद बिना किसी अर्थ के किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करती है, लेकिन संसद वहां कानून नहीं बनाती है जहां किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। संसद को कानून बनाने के लिए कानून बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है और न ही इसे निरर्थक कानून बनाने के लिए माना जा सकता है। संसद केवल यह बताने के लिए कानून नहीं बनाती है कि क्या कहना अनावश्यक है या वह करना जो पहले से ही वैध रूप से किया गया है। संसद को कानून बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है

अनावश्यक रूप से। फिर से, जबकि एक अधिनियम के शब्द हैं महत्वपूर्ण है, संदर्भ कम महत्वपूर्ण नहीं है। उदाहरण के लिए:

" ..... यह तथ्य कि किसी कानून में सामान्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, अपने आप में एक निर्णायक कारण नहीं है कि शाब्दिक रूप से उनके भीतर आने वाले प्रत्येक मामले को उस कानून द्वारा शासित किया जाना चाहिए, और एक अधिनियम का संदर्भ अच्छी तरह से इंगित कर सकता है कि व्यापक या सामान्य शब्दों को एक प्रतिबंधात्मक अर्थ दिया गया है "। [हैल्सबरी 4 थ एडन। , खण्ड. 44 पी। 874] "

इसलिए श्री द्विवेदी का यह तर्क विफल होना चाहिए। 34. श्री द्विवेदी का एक और तर्क यह है कि

धारा 5 ए, 35 एए और 35 एबी के संयुक्त अध्ययन पर आर. बी. आई. को रु. दिए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब समवर्ती शक्तियां एक ही या दो अलग-अलग प्राधिकरणों के लिए होती हैं, तो बैंकिंग विनियमन स्पष्ट रूप से ऐसा कहता है। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 35 (1) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ-साथ केंद्र सरकार को दी गई वर्तमान शक्ति का एक उदाहरण है।

अधिनियम की धारा 35 (1) इस प्रकार है:

" 35. निरीक्षण। — (1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 में इसके विपरीत कुछ भी निहित होने के बावजूद, रिजर्व धारा सागर एंड केमिकल्स लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बैंक किसी भी समय, और केंद्र सरकार द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिए जाने पर, किसी भी बैंकिंग कंपनी के अपने एक या अधिक अधिकारियों और उसकी पुस्तकों और खातों का निरीक्षण कराएगा और रिजर्व बैंक बैंकिंग कंपनी को ऐसे निरीक्षण पर अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रदान करेगा।

XXX XXX "

जब लेखा पुस्तकों के निरीक्षण की बात आती है, तो भारतीय रिज़र्व बैंक या तो स्वयं या केंद्र द्वारा ऐसा करने का निर्देश दिया जा सकता है।

सरकार, धारा में निर्दिष्ट तरीके से किसी भी बैंकिंग कंपनी की पुस्तकों और खातों का निरीक्षण कराए। यह धारा 35 एए के विपरीत है, जो यह स्पष्ट करती है कि केंद्र सरकार के प्राधिकरण के बिना, भारतीय रिजर्व बैंक के पास धारा 35 के विपरीत, अपने दम पर निर्देश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। इसलिए यह तर्क भी विफल होना चाहिए। 35. श्री द्विवेदी ने तब तर्क दिया कि धारा 35 एबी "पूर्वाग्रह के बिना" शब्दों का उपयोग यह इंगित करने के लिए करती है कि उक्त धारा के तहत दी गई शक्ति को धारा 35 ए और 35 एए द्वारा दी गई अन्य शक्तियों के अतिरिक्त के रूप में पढ़ा जाना था। यह न्यायालय, भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और अन्य। , (2014) 3 एस. सी. सी. 222 ने पैराग्राफ 90 से 97 में संकेत दिया है कि किसी धारा में दिखाई देने वाले "पूर्वाग्रह के बिना" शब्द यह स्पष्ट करते हैं कि जो शक्तियां गिनाई गई हैं वे केवल एक सामान्य शक्ति का उदाहरण हैं और ऐसी सामान्य शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती हैं। वास्तव में, भारत संघ और अन्र में। वी. फाइजर लिमिटेड और ओआरएस। , (2018) 2 एस. सी. सी. 39, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः

" 14. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, यह स्पष्ट है कि धारा 26-ए को 1982 में एक संशोधन द्वारा पेश किया गया है। सबसे पहले, इस उपबंध को पढ़ने से यह पता चलेगा कि यह इस अध्याय (जिसका अर्थ है चतुर्थ अध्याय) में निहित किसी अन्य उपबंध के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। इस अभिव्यक्ति का केवल यह अर्थ है कि अध्याय IV में निहित केंद्र सरकार की अन्य शक्तियों के अलावा, धारा 26-ए एक अतिरिक्त शक्ति है जिसे अपनी शर्तों द्वारा शासित किया जाना चाहिए। धारा 26-ए के तहत, केंद्र सरकार को "संतुष्ट" होना चाहिए कि किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन में शामिल होने की संभावना है (i) मनुष्यों या परिवारों के लिए कोई खतरा; या (ii) कि किसी भी दवा में वह चिकित्सीय मूल्य नहीं है जिसका दावा किया जाता है या जिसका दावा किया जाता है; या (iii) ऐसी मात्रा में तत्व होते हैं जिसके लिए कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। जाहिर है, केंद्र सरकार [2019] 6 एस. सी. आर.

इन तीनों कारकों में से किसी भी या सभी पर अपना दिमाग लगाना होगा जो इनमें से किसी भी या सभी कारकों के अस्तित्व के रूप में इसकी "संतुष्टि" पर आधारित होना चाहिए। धारा 26-ए के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब यह आवश्यक या समीचीन पाया जाए -

जनहित में ऐसा करें। जब शक्ति का इस तरह से प्रयोग किया जाता है, तो यह किसी भी दवा या सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण, बिक्री या वितरण को विनियमित, प्रतिबंधित या प्रतिबंधित कर सकता है।

इस प्रकार, धारा 35 एबी द्वारा दिए गए निर्देश जारी करने की शक्ति धारा 35 ए के तहत दी गई शक्ति के अतिरिक्त है।

36. यह महत्वपूर्ण है कि धारा 35 एबी द्वारा दिए गए निर्देश जारी करने की शक्ति केवल धारा 35 ए के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है, यानी इसे धारा 35 ए के संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 35 एबी धारा 35 एए में निहित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना नहीं है। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि धारा 35 एबी के तहत शक्ति, जिसे धारा 35 ए के साथ पढ़ा जाता है, का उपयोग धारा 35 एए द्वारा प्रदत्त शक्ति से अलग किया जाना है।

37. दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित सभी विद्वान वकीलों ने क़ानून का अर्थ निकालने के लिए बाहरी सहायता का उल्लेख किया। एरा में (डॉ.

मंजुला क्रिपेंडॉर्फ) बनाम। राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) और ए. एन. आर. , (2017) 15 एस. सी. सी. 133, जे. नरीमन ने रचनात्मक व्याख्या के सिद्धांत का उल्लेख किया। रचनात्मक व्याख्या के उदाहरण तब होते हैं जब न्यायालय शाब्दिक भाषा के साथ-साथ उद्देश्य या उद्देश्य दोनों को देखता है। कानून के प्रारूपक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों का क्या अर्थ है, यह बेहतर ढंग से निर्धारित करने के लिए क़ानून का उद्देश्य [पैराग्राफ 122 देखें]। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकालाः

" 127. इस प्रकार अंग्रेजी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलियाई और हमारे अपने सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि "लक्ष्मण रेखा" को वास्तव में व्याख्या के कड़ाई से शाब्दिक नियम से दूर हेडन [हेडन मामला, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7 ए के पुराने अंग्रेजी मामले के शासन में वापस ले जाने के लिए विस्तारित किया गया हैः 76 ई. आर. 637], जहाँ न्यायालय को उद्देश्य, उद्देश्य, पाठ और

न्यायिक परिणाम पर पहुँचने से पहले किसी विशेष प्रावधान का संदर्भ। वास्तव में, पहिया पूरा चक्कर लगा चुका है। यह नियम के अनुसार शुरू हुआ जैसा कि 1584 में हेडन मामले में कहा गया था [हेडन मामला, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a 76 ER 637], जिसे तब प्रिवी काउंसिल और सदन द्वारा निर्धारित शाब्दिक व्याख्या नियम द्वारा बाधित किया गया था।

1800 के दशक के मध्य में लॉर्ड्स ने 400 से अधिक धरणी सागर और केमिकल लिमिटेड के संदर्भ में इस नियम को फिर से लागू किया।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कई साल पहले हेडन मामले में [हेडन मामले में, (1584) 3 सह प्रतिनिधि 7a:

76 ई. आर. 637] "।

इस निर्णय के बाद से इस न्यायालय ने

आर्सेलर मित्तल इंडिया (पी) लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता, (2019) 2 एस. सी. सी. 1 [पैराग्राफ 29 पर]; एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी (पी) लिमिटेड v. केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2018) 16 एस. सी. सी. 299 [पैराग्राफ में] 51.5] ; मैक्केरी बैंक लिमिटेड बनाम शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (2018) 2 एस. सी. सी. 674 [पैराग्राफ 27 और 30 पर]; राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) v. बृजेश सिंह, (2017) 10 एस. सी. सी. 779 [पैराग्राफ 13 पर]।

38. 05.05.2017 दिनांकित प्रेस नोट में ऊपर बताया गया है, समझाया गया है

नई धारा 35 ए. ए. और 35 ए. बी. दो विशिष्ट और सेपा दर शक्तियों के अनुदान के रूप में। धारा 35 एए को "जहां आवश्यक हो, दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करके विशिष्ट तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को हल करने के लिए" जोड़ा गया है। दूसरी ओर, धारा 35 एबी को अधिनियमित किया गया है ताकि "आर. बी. आई. को भी समाधान के लिए अन्य निर्देश जारी करने का अधिकार दिया गया है।" यह महत्वपूर्ण है कि धारा 35 ए. ए. को ठीक वैसे ही अधिनियमित किया गया है जैसे ओ. आर. डी. एन. एस. में है। उप-धारा में मामूली वृद्धि को छोड़कर धारा 35 एबी भी ऐसी ही है।

(1) , जो "किसी भी बैंकिंग कंपनी या" शब्दों को जोड़ता है। वास्तव में, यहां तक कि वस्तुओं और कारणों का कथन भी समान धाराओं को प्रस्तुत करता है

एक संशोधन अधिनियम के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए प्रदत्त शक्तियां, या तो दिवाला संहिता का उपयोग करके या अन्य माध्यमों से, अलग और स्वतंत्र शक्तियां हैं, जैसा कि उक्त उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैराग्राफ 3 (ए) और 3 (बी) में निर्धारित किया गया है। इसलिए, धारा 35 ए, 35 एए और 35 एबी की योजना इस प्रकार हैः

(क) जब दिवाला संहिता, धारा 35 एए के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देश जारी करने की बात आती है।

यह शक्ति का एकमात्र स्रोत है।

(ख) जब दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के संबंध में निर्देश जारी करने की बात आती है, जो निर्देश दिवाला संहिता के तहत इस समस्या को हल करने के अलावा अन्य निर्देश हैं, तो ऐसी शक्ति धारा 35 एबी के साथ पठित धारा 35 ए के अंतर्गत आती है। यह भी

यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि धारा 35 एबी (2) भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी बैंकिंग कंपनी को संकट के समाधान पर सलाह देने के लिए एक या अधिक प्राधिकरणों या समितियों को निर्दिष्ट करने में सक्षम बनाती है।

संपत्ति। यह सलाह स्पष्ट रूप से दिवाला संहिता से परे है, क्योंकि एक बार दिवाला संहिता के तहत आवेदन किए जाने के बाद, ऐसी सलाह पूरी तरह से निरर्थक होगी, जैसा कि दिवाला [2019] 6 एस. सी. आर.।

संहिता के प्रावधान तब अपने हाथ में ले लेंगे और उन्हें होना होगा

पीछा किया।

39. जब किसी कानून का एक खंड उसी कानून के दूसरे खंड को सामान्य शक्तियां प्रदान करता है जो विशिष्ट शक्तियां प्रदान करता है।

आरएस, सामान्य प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सकता है जहां एक विशिष्ट उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट अधिनियम बनाया गया है। इस प्रकार,

कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं. लिमिटेड बनाम यू. पी. राज्य,

1) 3 एस. सी. आर. 185, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 9. हालाँकि पूर्ण सामंजस्य होगा यदि हम इसके बजाय यह मानते हैं कि खंड 5 (ए) प्रस्तावित बर्खास्तगी के अन्य सभी मामलों में लागू होगा।

या निर्वहन सिवाय जहां एक जांच के भीतर लंबित है खंड 23 का अर्थ। हम निर्माण के एक और प्रसिद्ध नियम को लागू करके उसी परिणाम पर पहुँचते हैं जो सामान्य प्रावधान हैं।

विशेष प्रावधानों के लिए उपज। विद्वान महान्यायवादी ने सुझाव दिया कि जबकि निर्माण का यह नियम एक अधिनियम में सामान्य प्रावधान के बीच संघर्ष को हल करने के लिए लागू होता है और

एक अन्य अधिनियम में विशेष प्रावधान, नियम एक ही विधायी साधन में सामान्य और विशेष प्रावधानों के बीच संघर्ष को हल करने में लागू नहीं हो सकता है। इस सुझाव को किसी भी सिद्धांत या अधिकार में समर्थन नहीं मिलता है। यह नियम कि सामान्य प्रावधानों को विशिष्ट प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए, एक मनमाना सिद्धांत नहीं है।

पुरुषों और महिलाओं के बारे में यह समझ कि जब एक ही व्यक्ति दो निर्देश देता है-एक सामान्य रूप से बड़ी संख्या में मामलों को कवर करता है और दूसरा केवल उनमें से कुछ को-तो उसका इरादा यह है कि ये बाद के निर्देश इनके संबंध में प्रबल होने चाहिए, जबकि बाकी सभी के संबंध में पहले के निर्देश का प्रभाव होना चाहिए। में। सुंदर वी। सॉली (शाम 206,6 वीं संस्करण में क़ानून कानून पर क्रेज़ में उद्धृत) रोमिली, एम. आर. ने इस नियम का उल्लेख इस प्रकार कियाः " नियम यह है कि जब भी कोई विशेष अधिनियम और एक सामान्य

उसी कानून में अधिनियमन और बाद वाला, अपने सबसे व्यापक अर्थों में लिया गया, पहले वाले को निरस्त कर देगा, विशेष अधिनियम को लागू होना चाहिए, और सामान्य अधिनियम को कानून के केवल अन्य हिस्सों को प्रभावित करने के लिए लिया जाना चाहिए जिन पर यह ठीक से लागू हो सकता है। इस नियम को एक ही क़ानून के विभिन्न प्रावधानों के बीच कई मामलों में लागू किया गया है, जिनमें से कुछ का केवल उल्लेख करने की आवश्यकता हैः डी विंटन बनाम। ब्रेकन [28 एलजे सीएच 598], चर्चिल बनाम। क्रीज [5 बिंग 177], संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम। चेस [135 यूएस 255] और कैरोल बनाम। ग्रीनविच इंस। कं. [199 यूएस 401]। ”

व्याख्या धारा 35 एए को अनुचित बना देगी। वास्तव में, श्री द्विवेदी का यह तर्क कि भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21,35 ए और 35 एबी के तहत दिवाला संहिता के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने के संबंध में एक बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी कर सकता है, ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार के प्राधिकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। धारा 35 एए के तहत केंद्र सरकार के प्राधिकरण के अभाव में, यह स्पष्ट है कि आर. बी. आई. के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी। 41. जहां तक दिवाला संहिता का संबंध है, धारा 35 एए में बैंकिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने की शक्ति को आधार बनाने के बाद, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह धारा केंद्रीय सरकार को "ए डी फॉल्ट" के संबंध में ऐसे निर्देश जारी करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकृत करने में सक्षम बनाती है। धारा 35 एए के स्पष्टीकरण में चूक का वही अर्थ है जो दिवाला संहिता की धारा 3 (12) के तहत दिया गया है। दिवाला संहिता की धारा 3 (12) इस प्रकार हैः

आवश्यकता है,

XXX XXX XXX

(12) " "चूक" का अर्थ है ऋण का भुगतान न करना जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किश्त देय और देय हो गया हो और ऋणी या निगमित ऋणी द्वारा भुगतान नहीं किया गया हो, जैसे -

मामला हो सकता है;

XXX XXX "

“ ऋण को दिवाला की धारा 3 (11) के तहत परिभाषित किया गया है।

कोड इस प्रकार हैः

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

(11) " "ऋण" से किसी दावे के संबंध में एक दायित्व या दायित्व अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति से देय है और इसमें एक वित्तीय ऋण शामिल है और

परिचालन ऋण;

XXX XXX "

इसके अलावा, दिवाला संहिता की धारा 3 (8) के तहत "कॉर्पोरेट देनदार" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया हैः

" 3. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX XXX XXX

(8) " निगमित देनदार "का अर्थ है एक निगमित व्यक्ति जिसका किसी व्यक्ति पर ऋण है;

XXX XXX "

इन परिभाषाओं को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि चूक का अर्थ होगा ऋण का भुगतान न करना जब वह देय हो गया हो और

देय है और कॉर्पोरेट देनदार द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक विशेष देनदार का एक विशेष चूक है जो धारा 35 एए का विषय है। यह भी देखा जाना चाहिए कि धारा 35 ए में आने वाली अभिव्यक्ति "आम तौर पर बैंकिंग कंपनियों या विशेष रूप से किसी भी बैंकिंग कंपनी को निर्देश जारी करना" है

आक्षेपित परिपत्र द्वारा किया गया है। 42. यह दिनांक 05.05.2017 के प्रेस नोट से भी स्पष्ट है, जिसमें अध्यादेश पेश किया गया था जिसमें विशेष रूप से संकल्प का उल्लेख किया गया था

" विशिष्ट "दबावग्रस्त परिसंपत्तियाँ जो भारतीय रिज़र्व बैंक को एन. पी. ए. के समाधान के" विशिष्ट "मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सशक्त बनाएंगी। धारा 35 एए को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस बात पर भी जोर देता है कि निर्देश "चूक" के संबंध में हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि धारा 35 एए के तहत जो निर्देश जारी किए जा सकते हैं, वे केवल विशिष्ट चूक के संबंध में हो सकते हैं -

विशिष्ट ऋणी। यह केंद्र सरकार की भी समझ है जब उसने 05.05.2017 दिनांकित अधिसूचना जारी की थी, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को संहिता के तहत केवल "चूक" के संबंध में ऐसे निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया था। इस प्रकार, कोई भी निर्देश जो आम तौर पर देनदारों के संबंध में हैं, धारा 35 एए के अधिकार से बाहर होगा।

DHARANI Sugars and Chemicals Ltd. वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

43. हालाँकि, श्री द्विवेदी ने तर्क दिया कि "विशिष्ट मामलों" में श्रेणी या वर्ग के अनुसार विनिर्देश शामिल होंगे। द्वारा दी गई सभी परिभाषाएँ

हालाँकि, वह अपने लिखित तर्क में इस पर विश्वास करते हैं। इस प्रकार, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में, "विशिष्ट" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" विशिष्ट/विशेषण 1. स्पष्ट रूप से परिभाषित। 2. विशेष विषय से संबंधित; विशिष्ट। 3. सटीक; पूरा विवरण देना। 4. प्राचीन (चिकित्सा का)

आदि) किसी विशेष बीमारी के लिए। 1. पुरातन विशिष्ट चिकित्सा।

2. विशिष्ट पहलू।

ब्लैक का कानून शब्दकोश भी "विशिष्ट" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करता है

निम्नलिखित है:

" विशिष्ट, ए. जी. 1. किसी विशेष या परिभाषित चीज़ का, उससे संबंधित, या निर्दिष्ट करना; स्पष्ट <विशिष्ट कर्तव्य>। 2. किसी विशेष नामित वस्तु <विशिष्ट वस्तु> का, उससे संबंधित, या शामिल करना। 3. अनुकूलनीय विशेष
आवश्यकताओं <विशिष्ट प्रदर्शन> के लिए। - विशिष्टता, एन।

– विशेष रूप से, एड "।

श्री द्विवेदी ने मारू राम और ओआरएस का उल्लेख किया। वी. इन डाय और ओआरएस का संघ। , (1981) 1 एस. सी. सी. 107, यह तर्क देने के लिए कि श्रेणी द्वारा विनिर्देशन

यह कुछ ऐसा होगा जो कानून को अच्छी तरह से पता होगा। उन्होंने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 33 पर भरोसा किया जो इस प्रकार है:

" 33. इस बचत खंड की शरीर रचना सरल, फिर भी सूक्ष्म है। मोटे तौर पर, तीन घटकों को अलग किया जाना है। सबसे पहले, प्रक्रिया संहिता आम तौर पर शामिल मामलों को नियंत्रित करती है।

इसके द्वारा। दूसरा, यदि एक ही क्षेत्र को कवर करने वाला कोई विशेष या स्थानीय कानून मौजूद है, तो यह बाद वाला कानून बचा रहेगा और प्रबल होगा। द.

विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए अल्पकालिक दंडात्मक उपाय और छूट योजनाएं विशेष और स्थानीय कानून हैं और इन्हें ओवरराइड करना चाहिए। अब तीसरा घटक आता है जो क्लिंचिंग हो सकता है। यदि इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान है, तो वह ओवरराइड करेगा

विशेष या स्थानीय कानून। क्या धारा 433-ए एक विशिष्ट कानून का उल्लंघन है? यदि ऐसा है, तो वह अंतिम शब्द होगा और विशेष या विशेष के खिलाफ भी रहेगा।

स्थानीय कानून "।

पैराग्राफ 33 को पढ़ने से पता चलता है कि इसके विपरीत निर्दिष्ट प्रावधान, जिसका उसमें उल्लेख किया गया है, केवल एक विशेष प्रावधान को संदर्भित करेगा।

धारा, एक श्रेणी या अध्याय के विपरीत जिसमें विभिन्न खंड शामिल हैं।

अनुभाग। इसलिए यह निर्णय सीधे तौर पर इस संबंध में श्री द्विवेदी के समर्पण के खिलाफ है।

19] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

44. श्री द्विवेदी ने तब सामान्य खंड अधिनियम, 1897 ["सामान्य खंड अधिनियम"] की धारा 13 पर भरोसा करते हुए कहा कि एकवचन बहुवचन को शामिल करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसा तब तक होगा जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, जैसा कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 13 द्वारा प्रदान किया गया है। वर्तमान मामले में, धारा 35 एए का संदर्भ यह स्पष्ट करता है, जैसा कि विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता द्वारा सही तर्क दिया गया है, कि केंद्र सरकार के प्राधिकरण के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति को विशिष्ट चूक को संदर्भित करने के लिए "उचित विचार-विमर्श और देखभाल" की आवश्यकता है। यह तर्क भी श्री द्विवेदी को बहुत आगे नहीं ले जाता है।

45. विवादित परिपत्र में इसके स्रोतों में से एक के रूप में कहा गया है कि गैर-बैंकिंग के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एल में निहित शक्ति वित्तीय संस्थान चिंतित हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को धारा 45-1 (सी) में निम्नानुसार संदर्भित किया गया हैः

" 45 - आई. परिभाषाएँ। इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

आवश्यकता है,

XXX XXX XXX

(ग) "वित्तीय संस्थान" से कोई भी गैर-बैंकिंग संस्थान अभिप्रेत है जो अपने व्यवसाय या अपने व्यवसाय के हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी गतिविधि करता है, अर्थात्ः

((i) अपनी गतिविधि के अलावा किसी अन्य गतिविधि का वित्तपोषण, चाहे वह ऋण या अग्रिम देने के माध्यम से हो या अन्यथा;

((ii) किसी सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या अन्य द्वारा जारी शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर या प्रतिभूतियों का अधिग्रहण।

समान प्रकृति की विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ;
((ग) धारा 2 के खंड (ग) में परिभाषित किराया-खरीद समझौते के तहत किसी माल को किराए पर देना या उसे किसी अवक्रेता को वितरित करना।

किराया-खरीद अधिनियम, 1972;

((iv) बीमा व्यवसाय के किसी भी वर्ग का संचालन;

(v) किसी भी कानून में परिभाषित चिट्स या क्यूरी के प्रबंधक, एजेंट या किसी अन्य क्षमता के रूप में प्रबंधन, संचालन या पर्यवेक्षण।

जो कुछ समय के लिए किसी भी राज्य में लागू है, या कोई भी व्यवसाय, जो उसके समान है; अरानी सागर और रसायन लिमिटेड।

वी. भारत और ओआरएस का संघ। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(vi) किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी नाम से किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत, सदस्यता के माध्यम से या इकाइयों, या अन्य उपकरणों की बिक्री के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से एकमुश्त या अन्यथा धन एकत्र करना और पुरस्कार प्रदान करना या उपहार, चाहे नकद या किसी अन्य रूप में, या किसी अन्य तरीके से धन वितरित करना, उन व्यक्तियों को जिनसे धन एकत्र किया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति को

एक और व्यक्ति,

लेकिन इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है, जो इसके प्रमुख व्यवसाय के रूप में चलती है।

(क) कृषि कार्य; या

((क) औद्योगिक गतिविधि; या

स्पष्टीकरण। इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक

"गतिविधि" से उपखंड (i) से (xviii) में निर्दिष्ट कोई गतिविधि अभिप्रेत है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 2 के खंड (सी) का;

((ख) किसी वस्तु की खरीद या बिक्री (प्रतिभूतियों के अलावा) या

किसी भी सेवा का प्रदान करना; या (ग) अचल संपत्ति की खरीद, निर्माण या बिक्री, ताकि संस्था की आय का कोई भी हिस्सा समाप्त न हो।

खरीद, निर्माण या बिक्री के वित्तपोषण से प्राप्त

अन्य व्यक्तियों द्वारा अचल संपत्ति;

XXX XXX "

धारा 45 एल इस प्रकार हैः

" 45 एल. वित्तीय से जानकारी के लिए कॉल करने के लिए बैंक की शक्ति

संस्थान और निर्देश देना। (1) यदि बैंक अपने लाभ के लिए देश की ऋण प्रणाली को विनियमित करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संतुष्ट है, तो ऐसा करना आवश्यक है,

(क) वित्तीय संस्थानों से या तो आम तौर पर या वित्तीय संस्थानों के किसी समूह या विशेष रूप से वित्तीय संस्थान से,

बैंक को ऐसे रूप में, ऐसे अंतराल पर और ऐसे समय के भीतर, ऐसे वित्तीय संस्थानों या संस्थान के व्यवसाय से संबंधित ऐसे विवरण, जानकारी या विवरण प्रदान करें, जो बैंक द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं; [2019] 6 एस. सी. आर.

(ख) ऐसी संस्थाओं को या तो आम तौर पर या विशेष रूप से ऐसी किसी संस्था को उनके द्वारा या वित्तीय संस्थानों या संस्था के रूप में उनके द्वारा व्यवसाय के संचालन से संबंधित निर्देश देना।

(2) उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत बैंक में निहित शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

किसी वित्तीय संस्थान द्वारा दी जाने वाली जानकारी या विवरण निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले से संबंधित हो सकते हैं, अर्थात्, चुकता पूंजी, भंडार या अन्य देनदारियां, निवेश चाहे सरकारी प्रतिभूतियों में हो या अन्यथा, वे व्यक्ति जिन्हें, और वे उद्देश्य और अवधि जिनके लिए वित्त प्रदान किया जाता है और

ब्याज दरों सहित नियम और शर्तें, जिन पर यह प्रदान किया जाता है।

(3) खंडक अधीन कोनो वित्तीय संस्थाकँ निर्देश जारी करबामे

(ख) उप-धारा (1) के अनुसार, बैंक को उन शर्तों और उद्देश्यों को ध्यान में रखना होगा जिनमें संस्था की स्थापना की गई है, इसकी वैधानिक जिम्मेदारियां, यदि कोई हों, और ऐसी वित्तीय संस्था के व्यवसाय का मुद्रा और पूंजी बाजार के रुझानों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है।

यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि धारा 45 एल (3) के प्रावधान विवादित परिपत्र जारी करने में संतुष्ट हुए हैं। विवादित परिपत्र में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन शर्तों और उद्देश्यों को ध्यान में रखा है जिनके लिए ऐसे संस्थानों की स्थापना की गई है, उनकी वैधानिक जिम्मेदारियां और इस तरह के वित्तीय व्यवसाय के प्रभाव को ध्यान में रखा है।

मुद्रा और पूंजी बाजार में संस्थानों के रुझानों पर असर पड़ने की संभावना है। इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि विवादित परिपत्र बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थानों पर समान रूप से लागू होता है, क्योंकि बैंकिंग और गैर-बैंकिंग संस्थान अक्सर एक संयुक्त ऋणदाता मंच में होते हैं जो संयुक्त रूप से देनदारों को धन उधार देते हैं। इसलिए, जहां तक विवादित परिपत्र के लागू होने का संबंध है, ऐसे गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान बैंकिंग संस्थानों से अविभाज्य हैं। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को बैंकों से अलग करना बहुत मुश्किल है ताकि उन पर परिपत्र लागू हो सके। भले ही यह बैंकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। इन कारणों से भी, विवादित परिपत्र को समग्र रूप से अधिकार से बाहर घोषित करना होगा, और कानून में इसका कोई प्रभाव नहीं होने की घोषणा करनी होगी। नतीजतन, उक्त परिपत्र के तहत की गई सभी कार्रवाइयां, जिनके द्वारा दिवाला संहिता लागू की गई है, उक्त परिपत्र के साथ आनी चाहिए। ए के रूप में

परिणामस्वरूप, वे सभी मामले जिनमें ऋणदाताओं के खिलाफ वित्तीय धारा सागर और रासायनिक भारत और ओ. आर. एस. द्वारा कार्रवाई की गई है।

[आर. एफ. एनएआर

विवादित परिपत्र के दिवाला संचालन की धारा 7 के तहत लेनदारों को शुरुआत में ही दोषपूर्ण घोषित किया जाएगा 46. इस परिपत्र द्वारा की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुए बी. ए. की धारा 35 ए. ए. हस्तांतरण किए गए मामलों और याचिकाओं में किसी भी अन्य विवाद में जाने के लिए अनावश्यक है। ट्रैन का निपटान तदनुसार किया जाता है।

अंकित ज्ञान

ट्रैनफेर